

# बजट का सार

## BUDGET AT A GLANCE

### 2015-2016

बजट के सार में बजट अनुमानों को स्थूल समूहों में बांट कर परिलक्षित किया जाता है ताकि बजट को आसानी से समझा जा सके। यह दस्तावेज प्राप्तियों एवं व्यय और राजस्व घाटे, प्रभावी राजस्व घाटे, राजवित्तीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे को दर्शाता है। केंद्रीय और राज्य आयोजना परिव्ययों को, संक्षेप में, दिखाया जाता है। इस दस्तावेज में वित्त वर्ष 2015-16 की केंद्रीय आयोजना की मुख्य विशेषताएं भी दी गई हैं।

2. **राजस्व घाटे** में, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता का उल्लेख किया जाता है। **प्रभावी राजस्व घाटा** राजस्व घाटे तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के बीच का अन्तर है। **राजकोषीय घाटा** राजस्व प्राप्तियों और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों तथा कुल व्यय, जिसमें से अदायगियों को घटाकर ऋणों को शामिल किया गया है, के बीच का अंतर है। यह सरकार के सभी स्रोतों से कुल उधार संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है। **प्राथमिक घाटे** को ब्याज अदायगियां घटाकर राजकोषीय घाटे द्वारा मापा जाता है।

3. बजट 2015-16 भारत में "सहकारी संघवाद" तथा राज्यों के सशक्तीकरण की प्रक्रिया के शुभारंभ का द्योतक है। नीति आयोग का गठन तथा राज्यों की केंद्रीय करों का एक पर्याप्त बड़ा हिस्सा अंतरित करने के संबंध में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना इस दिशा में उठाए गए उल्लेखनीय कदम हैं। इस बजट वर्ष में वित्त आयोग की आवंटन अवधि (2015-2020) की शुरुआत हो रही है जिसके दौरान राज्यों को केंद्रीय करों की विभाज्य राशि का 42% हिस्सा अंतरित किया जाएगा जबकि वर्तमान में यह हिस्सेदारी 32% है। राज्यों को इस बढ़े हुए मुक्त संसाधन को उपलब्ध कराने से उन्हें अपने कार्यक्रमों और स्कीमों की डिजाइन, क्रियान्वयन और वित्तपोषण में परिवर्तन लाकर अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की सक्षमता प्राप्त होगी। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तीव्रतर होगी जिससे समग्र राष्ट्रीय विरासत की प्रक्रिया को योगदान मिलेगा। हमारा विचार "मजबूत राज्यों वाले टीम इंडिया" का निर्माण करना है। सरकार की यह सुदृढ़ राय है कि "भारत तभी विकसित होगा यदि इसके राज्यों का विकास हो।"

4. वर्ष 2015-16 के लिए कुल आयोजना परिव्यय 465277 करोड़ रुपए है। उच्च अंतरण के बावजूद, आयोजना परिव्यय संशोधित अनुमान 2014-15 के स्तर के आस-पास रखा गया है।

5. विभाज्य राशि में राज्यों को अधिक राशि अंतरित करने का आशय यह है कि उसी अनुपात में केंद्र की राजकोषीय स्थिति संकुचित होगी। इन बाधाओं के बावजूद कृषि, ग्रामीण विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और मात्स्यिकी, अल्पसंख्यक मामले, महिला एवं बाल विकास, आयुर्वेद, योग, सिद्ध और

Budget at a Glance shows Budget estimates in broad aggregates to facilitate easy understanding. The document shows receipts and expenditure as well as the revenue deficit, the effective revenue deficit, the fiscal deficit and the primary deficit. Central and State Plan Outlays are shown in brief. The document also gives the highlights of the Central Plan for Financial Year 2015-2016.

2. **Revenue deficit** refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts. **Effective revenue deficit** is the difference between revenue deficit and grants for creation of capital assets. **Fiscal deficit** is the difference between the revenue receipts plus non-debt capital receipts and the total expenditure including loans, net of repayments. This indicates the total borrowing requirements of Government from all sources. **Primary deficit** is measured by fiscal deficit less interest payments.

3. Budget 2015-16 marks the dawn of 'Co-operative federalism' and empowerment of the States. The creation of National Institution of Transforming India (NITI) and acceptance of 14<sup>th</sup> Finance Commission's (FFC) recommendation of substantially higher devolution of Union taxes to States are landmarks in this direction. This Budget marks the beginning of the award period (2015-2020) of the FFC during which States will be devolved 42% of the divisible pool of Union taxes from existing 32%. This enhanced untied resource available to the States would enable them to address their specific needs through flexibility in design, implementation and financing of Programmes and schemes. This is expected to bring in high growth and faster development of different regions of the country contributing to overall National growth. The idea is to build 'Team India with stronger States'. The Government firmly believes that "India grows when States grow".

4. The total Plan Outlay for 2015-16 is ₹465277 crore. Despite a higher devolution, the Plan Outlay has been kept nearly at the level of RE 2014-15.

5. Higher devolution to States of the divisible pool implies that the fiscal space for the Centre shrinks in the same proportion. Despite these constraints, the current Central Plan outlay for; Agriculture, Rural Development, Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Minority Affairs, Women and Child

(ii)

होम्योपैथी (आयुष) विकास, निर्यात संवर्धन, औद्योगिक कारीडोर विकसित, पूर्वोत्तर विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, स्वास्थ्य अनुपालन, एड्स नियंत्रण, विश्वविद्यालय शिक्षण, उच्च शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पोत परिवहन, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, निःशक्तता मामले, जनजातीय मामले तथा नगरीय विकास के लिए वर्तमान केन्द्रीय आयोजना परिव्यय या तो पूर्ववत् रखा गया है या उसमें वृद्धि की गई है।

6. सड़क और रेल सेक्टरों के लिए अवसंरचना विकास आबंटन से प्रमुख उछाल लाने के लिए इनमें अत्यधिक वृद्धि की गई है। इसी तरह, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर के लिए आबंटन लगभग दो गुना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण और सागर माला परियोजना के लिए संसाधन लक्षित किए गए हैं।

7. उच्च अंतरण के कारण वर्धित वित्तीय सशक्तीकरण को देखते हुए भी राज्यों पर सामाजिक आर्थिक विकास हेतु इन संसाधनों को प्रयोग में लाने का बृहत्तर उत्तरदायित्व है। राज्यों की स्थानीय अपेक्षाओं और दशाओं के अनुसार कार्यक्रमों और स्कीमों को तैयार करने और चलाने की अधिक छूट प्राप्त होगी। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली राज्य योजनाओं और विशेषकर निर्धनता उन्मूलन तथा सामाजिक दृष्टि से सुविधाविहीन समूहों के उत्थान हेतु लक्षित योजनाओं को सहायता प्रदान करना जारी रखेगी। केंद्र सरकार इन कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवांठित करके सामाजिक आर्थिक विकास में प्रेरक की भूमिका का निर्वहन करेगी।

8. केन्द्र सरकार कतिपय कार्यक्रमों को बिना किसी परिवर्तन के जारी रखेगी क्योंकि या तो वे विधिक/संवैधानिक बाध्यताएं हैं, या निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्वाचन क्षेत्रों के कल्याण के लिए विशेषाधिकार वाले हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव करना और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय सरकार कतिपय ऐसे कार्यक्रमों को, उनमें कोई परिवर्तन किए बिना, अपने संसाधनों से सहायता देती रहेगी जो सामाजिक रूप से उपेक्षित लोगों के लिए हैं। ऐसे कार्यक्रमों की संकेतात्मक सूची अनुबंध - I के रूप में संलग्न है।

9. कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के संबंध में, विभाजन पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी जिससे स्कीम के कार्यान्वयन से राज्यों का राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिक हो जाएगा। विभाजन पद्धति में परिवर्तनों का ब्यौरा, केन्द्रीय वित्तपोषण साधनों से उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। विभाजन पद्धति, जिन स्कीमों की विभाजन प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा, उनकी संकेतात्मक सूची अनुबंध - II पर दी गई है।

10. यह प्रस्ताव है कि केवल 8 केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं को केन्द्र की सहायता से अलग कर दिया जाए। ऐसी योजनाओं की सूची अनुबंध - III में दी गई है।

11. वर्ष 2013-14 के आंकड़े अनंतिम हैं।

Development, Development of Ayurveda, Yoga, Sidha and Homeopathy, Export Promotion, Industrial Corridor Development, Development of North East, Drinking Water and Sanitation, Health and Family Welfare, Health Research, AIDS Control, School Education, Higher Education, Renewable Energy, Science and Technology, Bio-technology, Shipping, Social Justice and Empowerment, Disability Affairs, Tribal Affairs and Urban Development, have either been retained or increased.

6. To give a major boost to infrastructure development allocation for Roads and Railways sector have been significantly enhanced. Similarly, allocation for Delhi-Mumbai Industrial corridor (DMIC) has been almost doubled. Resources have been targetted towards Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Rural Electrification and Sagar Mala Project.

7. The enhanced financial empowerment on account of higher devolution also entails greater responsibility to States in using these resources for Socio-economic development. States will have greater flexibility in designing and running Programmes and Schemes as per local requirements and conditions. Government has decided that it will continue to support State Plans of national priorities especially those which are targeted towards Poverty Alleviation and upliftment of socially disadvantaged groups. Centre will play a catalytic role in Socio-economic development by contributing resources to these Programmes.

8. Central Government will continue certain programmes unaltered as they are either legal/constitutional obligations, or are privileges available to the elected representatives for welfare of their constituents. Further, and more importantly it is proposed that the Union Government may continue to support certain programmes which are for the benefit of socially disadvantaged in an unaltered manner from its own resources. The indicative list of such programmes is at Annexure - I.

9. In respect of some Centrally sponsored schemes, the sharing pattern will have to undergo a change with States sharing a higher fiscal responsibility in terms of scheme implementation and financing. Details of changes in sharing pattern will have to be worked out by the administrative Ministry/Department on the basis of available resources from Union Finances. Indicative list of schemes, in which sharing pattern will undergo a change is at Annexure - II.

10. It is proposed that only 8 Centrally Sponsored Schemes be delinked from support from the Centre. The list of such schemes is given in Annexure - III.

11. Actual for 2013-14 are provisional.

## बजट का सार Budget at a Glance

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		2013-2014 वास्तविक Actuals	2014-2015 बजट अनुमान Budget Estimates	2014-2015 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2015-2016 बजट अनुमान Budget Estimates
<b>1. राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>1. Revenue Receipts</b>	<b>1014724</b>	<b>1189763</b>	<b>1126294</b>	<b>1141575</b>
2. कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	2. Tax Revenue (net to centre)	815854	977258	908463	919842
3. कर-भिन्न राजस्व	3. Non-Tax Revenue	198870	212505	217831	221733
<b>4. पूंजी प्राप्तियां (5+6+7)<sup>§</sup></b>	<b>4. Capital Receipts (5+6+7)<sup>§</sup></b>	<b>544723</b>	<b>605129</b>	<b>554864</b>	<b>635902</b>
5. ऋणों की वसूली	5. Recoveries of Loans	12497	10527	10886	10753
6. अन्य प्राप्तियां	6. Other Receipts	29368	63425	31350	69500
7. उधार और अन्य देयताएं*	7. Borrowings and other liabilities *	502858	531177	512628	555649
<b>8. कुल प्राप्तियां (1+4)<sup>§</sup></b>	<b>8. Total Receipts (1+4)<sup>§</sup></b>	<b>1559447</b>	<b>1794892</b>	<b>1681158</b>	<b>1777477</b>
<b>9. आयोजना-भिन्न व्यय</b>	<b>9. Non-Plan Expenditure</b>	<b>1106120</b>	<b>1219892</b>	<b>1213224</b>	<b>1312200</b>
10. राजस्व खाते पर जिसमें से	10. On Revenue Account of which,	1019040	1114609	1121897	1206027
11. ब्याज भुगतान	11. Interest Payments	374254	427011	411354	456145
12. पूंजी खाते पर	12. On Capital Account	87080	105283	91327	106173
<b>13. आयोजना व्यय</b>	<b>13. Plan Expenditure</b>	<b>453327</b>	<b>575000</b>	<b>467934</b>	<b>465277</b>
14. राजस्व खाते पर	14. On Revenue Account	352732	453503	366883	330020
15. पूंजी खाते पर	15. On Capital Account	100595	121497	101051	135257
<b>16. कुल व्यय (9+13)</b>	<b>16. Total Expenditure (9+13)</b>	<b>1559447</b>	<b>1794892</b>	<b>1681158</b>	<b>1777477</b>
17. राजस्व व्यय (10+14)	17. Revenue Expenditure (10+14)	1371772	1568111	1488780	1536047
18. जिसमें, पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	18. Of Which, Grants for creation of Capital Assets	129418	168104	131898	110551
19. पूंजी व्यय (12+15)	19. Capital Expenditure (12+15)	187675	226781	192378	241430
<b>20. राजस्व घाटा (17-1)</b>	<b>20. Revenue Deficit (17-1)</b>	<b>357048</b> <b>(3.1)</b>	<b>378348</b> <b>(2.9)</b>	<b>362486</b> <b>(2.9)</b>	<b>394472</b> <b>(2.8)</b>
<b>21. प्रभावी राजस्व घाटा (20-18)</b>	<b>21. Effective Revenue Deficit (20-18)</b>	<b>227630</b> <b>(2.0)</b>	<b>210244</b> <b>(1.6)</b>	<b>230588</b> <b>(1.8)</b>	<b>283921</b> <b>(2.0)</b>
<b>22. राजकोषीय घाटा {16-(1+5+6)}</b>	<b>22. Fiscal Deficit {16-(1+5+6)}</b>	<b>502858</b> <b>(4.4)</b>	<b>531177</b> <b>(4.1)</b>	<b>512628</b> <b>(4.1)</b>	<b>555649</b> <b>(3.9)</b>
<b>23. प्राथमिक घाटा (22-11)</b>	<b>23. Primary Deficit (22-11)</b>	<b>128604</b> <b>(1.1)</b>	<b>104166</b> <b>(0.8)</b>	<b>101274</b> <b>(0.8)</b>	<b>99504</b> <b>(0.7)</b>

इस दस्तावेज में वर्ष 2013-14 के वास्तविक आंकड़े अंतिम हैं। Actuals for 2013-14 in this document are provisional.

§ बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्तियों को छोड़कर। Excluding receipts under Market Stabilisation Scheme.

\* इसमें नकदी शेष में आहरण द्वारा कमी शामिल है। Includes draw-down of Cash Balance.

**टिप्पणियां:** 1. सीएसओ द्वारा जारी 2014-2015 के अग्रिम अनुमानों (₹12653762 करोड़) की तुलना में 11.15% की वृद्धि मानते हुए 2015-2016 के बजट अनुमान में सघट बढकर ₹14108945 करोड़ होने का पूर्वानुमान है।

2. इस दस्तावेज में पृथक-पृथक मदें पूर्णांकन के कारण संभवतः जोड़ से मेल न खाएं।

**Notes:** 1. GDP for BE 2015-2016 has been projected at ₹14108945 crore assuming 11.5% growth over the Advance Estimates of 2014-2015 (₹12653762 crore) released by CSO.

2. Individual items in this document may not sum up to the totals due to rounding off.

## प्राप्तियां Receipts

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		2013-2014 वास्तविक Actuals	2014-2015 बजट अनुमान Budget Estimates	2014-2015 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2015-2016 बजट अनुमान Budget Estimates
<b>राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>REVENUE RECEIPTS</b>				
<b>1. कर राजस्व</b>	<b>1. Tax Revenue</b>				
सकल कर-राजस्व	<b>Gross Tax Revenue</b>	<b>1138734</b>	<b>1364524</b>	<b>1251391</b>	<b>1449490</b>
निगम कर	Corporation Tax	394678	451005	426079	470628
आय कर	Taxes on Income	242857	284266	278599	327367
धन कर	Wealth Tax	1008	950	950	...
सीमा शुल्क	Customs	172085	201819	188713	208336
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	170198	207110	185480	229808
सेवा कर	Service Tax	154778	215973	168132	209774
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	Taxes of Union Territories	3130	3401	3438	3577
घटाइए -राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि/ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	<b>Less - NCCD transferred to the National Calamity Contingency Fund/National Disaster Response Fund</b>	<b>4650</b>	<b>5050</b>	<b>5120</b>	<b>5690</b>
घटाइए-राज्यों का हिस्सा	<b>Less - States' share</b>	<b>318230</b>	<b>382216</b>	<b>337808</b>	<b>523958</b>
<b>1(क) केंद्र का निवल कर राजस्व</b>	<b>1(a) Centre's Net Tax Revenue</b>	<b>815854</b>	<b>977258</b>	<b>908463</b>	<b>919842</b>
<b>2. कर-भिन्न राजस्व</b>	<b>2. Non-Tax Revenue</b>				
ब्याज प्राप्तियां	Interest receipts	21868	19751	22166	23600
लाभांश और लाभ	Dividend and Profits	90435	90229	88781	100651
विदेशी अनुदान	External Grants	3618	2405	2811	1774
अन्य कर-भिन्न राजस्व	Other Non Tax Revenue	81475	99009	102830	94412
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	Receipts of Union Territories	1474	1111	1243	1296
<b>कुल कर-भिन्न राजस्व</b>	<b>Total Non Tax Revenue</b>	<b>198870</b>	<b>212505</b>	<b>217831</b>	<b>221733</b>
<b>कुल राजस्व प्राप्तियां (1क+2)</b>	<b>Total Revenue Receipts (1a+2)</b>	<b>1014724</b>	<b>1189763</b>	<b>1126294</b>	<b>1141575</b>



## प्राप्तियां Receipts

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

	2013-2014 वास्तविक Actuals	2014-2015 बजट अनुमान Budget Estimates	2014-2015 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2015-2016 बजट अनुमान Budget Estimates	
<b>3. पूंजी प्राप्तियां</b>	<b>3. Capital Receipts</b>				
<b>क. ऋण-भिन्न प्राप्तियां</b>	<b>A. Non-debt Receipts</b>				
ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां <sup>@</sup> विविध पूंजी प्राप्तियां	Recoveries of loans and advances <sup>@</sup>	12497	10527	10886	10753
	Miscellaneous Capital Receipts	29368	63425	31350	69500
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>41865</b>	<b>73952</b>	<b>42236</b>	<b>80253</b>
<b>ख. ऋण प्राप्तियां*</b>	<b>B. Debt Receipts*</b>				
बाजार ऋण	Market Loans	453551	461205	446922	456405
अल्पावधि उधार	Short term borrowings	7729	34553	51169	30063
विदेशी सहायता (निवल)	External Assistance (Net)	7292	5734	9705	11173
लघु बचतों की एवज में जारी प्रतिभूतियां	Securities issued against Small Savings	12357	8229	33276	22408
राज्य भविष्य निधियां (निवल)	State Provident Fund (Net)	9752	12000	10000	10000
अन्य प्राप्तियां (निवल)	Other Receipts (Net)	31348	-7704	-22773	13559
<b>जोड़</b>	<b>Total</b>	<b>522029</b>	<b>514017</b>	<b>528299</b>	<b>543608</b>
<b>जोड़-पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख)</b>	<b>Total Capital Receipts (A+B)</b>	<b>563894</b>	<b>587969</b>	<b>570535</b>	<b>623861</b>
<b>4. नकदी शेष में आहरण द्वारा कमी</b>	<b>4. DRAW-DOWN OF CASH BALANCE</b>				
		-19171	17160	-15671	12041
<b>जोड़ प्राप्तियां (1क+2+3+4)</b>	<b>Total Receipts (1a+2+3+4)</b>	<b>1559447</b>	<b>1794892</b>	<b>1681158</b>	<b>1777477</b>
<b>राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (3ख+4)</b>	<b>Financing of Fiscal Deficit (3B+4)</b>				
		502858	531177	512628	555649
<b>एमएसएस के अन्तर्गत प्राप्तियां (निवल)</b>	<b>Receipts under MSS (Net)</b>				
		...	20000	...	20000
<sup>@</sup> राज्यों से अल्पावधिक ऋणों और अग्रिमों तथा सरकारी कर्मचारियों, आदि को दिए गए ऋणों की वसूलियों को छोड़कर	<sup>@</sup> excludes recoveries of short-term loans and advances from States, loans to Government servants, etc.	12052	12290	13697	11961

\* प्राप्तियां वापसी अदायगियां घटाकर हैं।

\* The receipts are net of repayments.



## व्यय Expenditure

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

	2013-2014 वास्तविक Actuals	2014-2015 बजट अनुमान Budget Estimates	2014-2015 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2015-2016 बजट अनुमान Budget Estimates
<b>1. आयोजना-भिन्न व्यय</b>				
<b>क. राजस्व व्यय</b>				
1. ब्याज संदाय और पूर्वप्रदत्त प्रीमियम				
2. रक्षा सेवाएं				
3. सब्सिडी				
4. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान				
5. पेंशन				
6. पुलिस				
7. राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से राज्यों को सहायता				
8. अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, वैदेशिक कार्य, आदि)				
9. सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण, आदि)				
10. आर्थिक सेवाएं (कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि)				
11. डाक घाटा				
12. विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय				
13. राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से पूरी की गई राशि				
14. विदेशी सरकारों को अनुदान				
<b>कुल राजस्व आयोजना-भिन्न व्यय</b>				
<b>ख. पूंजी व्यय</b>				
1. रक्षा सेवाएं				
2. आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय				
3. सरकारी उद्यमों को ऋण				
4. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण				
5. विदेशी सरकारों को ऋण				
6. अन्य				
<b>जोड़ पूंजी आयोजना - भिन्न व्यय</b>				
<b>जोड़ आयोजना-भिन्न व्यय</b>				
<b>1. NON-PLAN EXPENDITURE</b>				
<b>A. Revenue Expenditure</b>				
1. Interest Payments and Prepayment Premium	374254	427011	411354	456145
2. Defence Services	124374	134412	140405	152139
3. Subsidies	254632	260658	266692	243811
4. Grants to State and U.T. Governments	60551	69936	80258	108552
5. Pensions	74896	81983	81705	88521
6. Police	42095	46390	48112	51791
7. Assistance to States from National Disaster Response Fund (NDRF)	4650	5050	5120	5690
8. Other General Services (Organs of State, tax collection, external affairs etc.)	23761	26401	25804	30936
9. Social Services (Education, Health, Broadcasting etc.)	25572	25324	25601	29143
10. Economic Services (Agriculture, Industry, Power, Transport, Communications, Science & Technology, etc.)	24976	26797	27106	28984
11. Postal Deficit	5339	6908	6378	6665
12. Expenditure of Union Territories without Legislature	4577	4468	4626	4998
13. Amount met from National Disaster Response Fund (NDRF)	-4650	-5050	-5120	-5690
14. Grants to Foreign Governments	4013	4321	3856	4342
<b>Total Revenue Non-Plan Expenditure</b>	<b>1019040</b>	<b>1114609</b>	<b>1121897</b>	<b>1206027</b>
<b>B. Capital Expenditure</b>				
1. Defence Services	79125	94588	81965	94588
2. Non-Plan Capital Outlay	7430	10039	7771	10582
3. Loans to Public Enterprises	432	653	853	954
4. Loans to State and U.T. Governments	80	83	80	79
5. Loans to Foreign Governments	156	158	...	158
6. Others	-143	-238	658	-188
<b>Total Capital Non-Plan Expenditure</b>	<b>87080</b>	<b>105283</b>	<b>91327</b>	<b>106173</b>
<b>Total Non-Plan Expenditure</b>	<b>1106120</b>	<b>1219892</b>	<b>1213224</b>	<b>1312200</b>



## व्यय Expenditure

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

	2013-2014 वास्तविक Actuals	2014-2015 बजट अनुमान Budget Estimates	2014-2015 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2015-2016 बजट अनुमान Budget Estimates
<b>2. आयोजना व्यय</b>	<b>2. PLAN EXPENDITURE</b>			
<b>क. राजस्व व्यय</b>	<b>A. Revenue Expenditure</b>			
1. केन्द्रीय आयोजना	252224	128867	102046	139660
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य आयोजनाएं	100508	324636	264838	190359
संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाएं	96579	318712	259794	184208
	3929	5924	5044	6151
<b>जोड़ - राजस्व आयोजना व्यय</b>	<b>Total Revenue Plan Expenditure</b>			
	<b>352732</b>	<b>453503</b>	<b>366884</b>	<b>330019</b>
<b>ख. पूंजी व्यय</b>	<b>B. Capital Expenditure</b>			
1. केन्द्रीय आयोजना	88254	107724	87720	120833
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य आयोजनाएं	12341	13773	13330	14425
संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाएं	11022	12052	11930	12535
	1319	1721	1400	1890
<b>जोड़ पूंजी आयोजना व्यय</b>	<b>Total Capital Plan Expenditure</b>			
	<b>100595</b>	<b>121497</b>	<b>101050</b>	<b>135258</b>
<b>जोड़ - आयोजना व्यय</b>	<b>Total - Plan Expenditure</b>			
	<b>453327</b>	<b>575000</b>	<b>467934</b>	<b>465277</b>
<b>केन्द्रीय आयोजना के लिए कुल बजट सहायता</b>	<b>Total Budget Support for Central Plan</b>			
	<b>340479</b>	<b>236592</b>	<b>189766</b>	<b>260493</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए कुल केन्द्रीय सहायता</b>	<b>Total Central Assistance for State &amp; UT Plans</b>			
	<b>112849</b>	<b>338408</b>	<b>278168</b>	<b>204784</b>
<b>कुल - व्यय*</b>	<b>TOTAL EXPENDITURE*</b>			
	<b>1559447</b>	<b>1794892</b>	<b>1681158</b>	<b>1777477</b>
<b>ऋण शोधन</b>	<b>DEBT SERVICING</b>			
1. ऋण की वापसी-अदायगी**	162976	216290	200955	225574
2. कुल ब्याज अदायगियां	374254	427011	411354	456145
3. कुल ऋण शोधन (1+2)	537231	643301	612309	681719
4. राजस्व प्राप्तियां	1014724	1189763	1126294	1141575
5. 2 से 4 तक का प्रतिशत	36.88%	35.89%	36.52%	39.96%

\* प्राप्तियों द्वारा प्रतिसन्तुलित व्यय को छोड़कर।

\* Excludes expenditure matched by receipts.

\*\* ये आंकड़े सभी राजकोषीय हुंडियों का उन्मोचन, नकद प्रबन्धन बिलों का उन्मोचन, ओवरड्राफ्ट, बाजार स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत अदायगी तथा सभी लोक लेखा संवितरणों सहित अर्थापय अग्रिमों के उन्मोचन (सब्सिडियों के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन के सिवाय) को छोड़कर हैं।

\*\* The figures exclude discharge of all Treasury bills, discharge of Cash Management Bills, discharge of Ways and Means Advances including Overdraft, repayment under MSS and all Public Account Disbursements (except discharge of Special Securities issued in lieu of Subsidies).



## राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरित संसाधन Resources Transferred to State and U.T. Governments

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		2013-2014 वास्तविक Actuals	2014-2015 बजट अनुमान Budget Estimates	2014-2015 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2015-2016 बजट अनुमान Budget Estimates
1	करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	318230	382216	337808	523958
2	आयोजना-भिन्न अनुदान और ऋण अनुदान	60631	70019	80338	108630
3	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित) की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता अनुदान	60551	69936	80258	108551
	ऋण	80	83	80	79
3	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित) की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता अनुदान	105252	329712	270269	195778
	ऋण	94242	317712	258369	183278
4	केन्द्रीय और केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायता अनुदान	11010	12000	11900	12500
4	केन्द्रीय और केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायता अनुदान	44111	5851	4586	23869
	ऋण	44111	5851	4544	23869
5	कुल अनुदान और ऋण (2+3+4) अनुदान	209994	405582	355193	328277
	ऋण	198904	393499	343171	315698
6	घटाइए - ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	11090	12083	12022	12579
7.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरित निवल संसाधन(1+5 - 6) जिसमें से	10120	8832	9035	9272
	7.1 राज्य सरकारें	515301	774799	680459	839317
	7.2 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	2803	4167	3507	3646
	<b>इसके अतिरिक्त -</b>				
(1)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं (सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से जारी सहायता	3937	3950	3950	3950
(2)	राज्य/जिला स्तर के स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को केन्द्रीय आयोजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से जारी सहायता \$	112708	...	...	...
(3)	राष्ट्रीय लघु बचत निधि से राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में किया गया निवेश	25278	19031	48078	36835

\* 2013-14 की कर संग्रहण को अंतिम रूप देने के पश्चात किया गया समायोजन शामिल है।

\* Includes adjustment done after finalisation of tax collection of 2013-14.

\$ ब्यौरे के लिए व्यय बजट खंड-1 का विवरण 18 देखें। \$ For details refer to Statement 18, Expenditure Budget Vol.1.



## केन्द्रीय आयोजना परिव्यय CENTRAL PLAN OUTLAY

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

	2013-2014 वास्तविक Actuals	2014-2015 बजट अनुमान Budget Estimates	2014-2015 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2015-2016 बजट अनुमान Budget Estimates	
<b>बजट सहायता</b>	<b>340479</b>	<b>236591</b>	<b>189766</b>	<b>260493</b>	
सरकारी उद्यमों (स.उ.) आदि के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन (आं.ब.बा.सं.)	Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) of Public Enterprises (PEs), etc.	263094	247941	237045	317889
<b>जोड़ - केन्द्रीय आयोजना परिव्यय</b>	<b>Total - Central Plan Outlay</b>	<b>603573</b>	<b>484532</b>	<b>426811</b>	<b>578382</b>

### केन्द्रीय आयोजना का क्षेत्रवार परिव्यय Central Plan Outlay by Sectors

(स.उ. आदि के आं.ब.बा.सं. सहित including IEBR of PEs etc)

कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	Agriculture and Allied Activities	17788	11531	10199	11657
ग्रामीण विकास*	Rural Development*	51757	3082	1877	3131
सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण	Irrigation and Flood Control	441	1797	896	772
ऊर्जा	Energy	182388	166275	154878	167342
उद्योग और खनिज	Industry and Minerals	33433	40209	39397	43113
परिवहन**	Transport**	103959	116202	106242	193417
संचार	Communications	16209	13009	13027	12032
विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	Science Technology & Environment	13535	18792	14821	19023
सामान्य आर्थिक सेवाएं	General Economic Services	26064	26318	17303	20333
सामाजिक सेवाएं***	Social Services***	150736	79411	64284	81003
सामान्य सेवाएं	General Services	7263	7906	3887	26559
<b>कुल जोड़</b>	<b>Grand Total</b>	<b>603573</b>	<b>484532</b>	<b>426811</b>	<b>578382</b>

### केन्द्रीय आयोजना का मंत्रालय/विभाग-वार परिव्यय Central Plan Outlay by Ministries/Departments

(स.उ. आदि के आं.ब.बा.सं. सहित including IEBR of PEs etc)

<b>कृषि मंत्रालय</b>	<b>Ministry of Agriculture</b>	<b>14363</b>	<b>10694</b>	<b>8735</b>	<b>10670</b>
कृषि और सहकारिता विभाग	Department of Agriculture and Cooperation	10163	5846	5326	5846
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	Department of Agricultural Research and Education	2451	3715	2500	3691
पशु-पालन, डेरी और मात्स्यिकी विभाग	Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	1749	1133	909	1133
<b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>	<b>Department of Atomic Energy</b>	<b>8793</b>	<b>13408</b>	<b>10446</b>	<b>15106</b>
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	<b>Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)</b>	<b>554</b>	<b>689</b>	<b>346</b>	<b>690</b>
<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>	<b>Ministry of Chemicals and Fertilisers</b>	<b>2006</b>	<b>1002</b>	<b>763</b>	<b>959</b>
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	Department of Chemicals and Petrochemicals	1158	174	323	188
उर्वरक विभाग	Department of Fertilisers	780	622	353	561
भेषज विभाग	Department of Pharmaceuticals	68	207	87	210
<b>नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>Ministry of Civil Aviation</b>	<b>8117</b>	<b>9474</b>	<b>8300</b>	<b>5361</b>

\* इसमें ग्रामीण आवास के लिए व्यवस्था शामिल है लेकिन ग्रामीण सड़कों के लिए व्यवस्था शामिल नहीं है।

\* Includes the provision for rural housing but excludes provision for rural roads.

\*\* इसमें ग्रामीण सड़कों के लिए व्यवस्था शामिल है! \*\* Includes the provision for rural roads.

\*\*\* इसमें ग्रामीण आवास के लिए व्यवस्था शामिल नहीं है! \*\*\*Excludes provision for rural housing.

**केन्द्रीय आयोजना का मंत्रालय/विभाग-वार परिव्यय**  
**Central Plan Outlay by Ministries/Departments**  
 (स.उ. आदि के आं.ब.बा.सं. सहित including IEBR of PEs etc)

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		2013-2014 वास्तविक Actuals	2014-2015 बजट अनुमान Budget Estimates	2014-2015 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2015-2016 बजट अनुमान Budget Estimates
कोयला मंत्रालय	<b>Ministry of Coal</b>	<b>9125</b>	<b>12561</b>	<b>12005</b>	<b>13137</b>
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	<b>Ministry of Commerce and industry</b>	<b>3047</b>	<b>3126</b>	<b>3235</b>	<b>3690</b>
वाणिज्य विभाग	Department of Commerce	1937	1426	1535	1425
औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	Department of Industrial Policy and Promotion	1110	1700	1700	2265
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	<b>Ministry of Communications and Information Technology</b>	<b>19498</b>	<b>18156</b>	<b>24988</b>	<b>26820</b>
डाक विभाग	Department of Posts	394	800	300	469
दूर-संचार विभाग	Department of Telecommunications	16561	13501	21768	22885
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	Department of Electronics and Information Technology	2543	3856	2920	3466
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	<b>Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution</b>	<b>1064</b>	<b>710</b>	<b>1001</b>	<b>1001</b>
उपभोक्ता मामले विभाग	Department of Consumer Affairs	180	220	140	180
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	Department of Food and Public Distribution	884	490	861	821
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	<b>Ministry of Corporate Affairs</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
संस्कृति मंत्रालय	<b>Ministry of Culture</b>	<b>1378</b>	<b>1835</b>	<b>1500</b>	<b>1455</b>
रक्षा मंत्रालय	<b>Ministry of Defence</b>	...	...	...	<b>450</b>
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	<b>Ministry of Development of North Eastern Region</b>	<b>217</b>	<b>536</b>	<b>471</b>	<b>537</b>
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	<b>Ministry of Drinking Water and Sanitation</b>	<b>11935</b>	<b>231</b>	<b>158</b>	<b>231</b>
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	<b>Ministry of Earth Sciences</b>	<b>876</b>	<b>1281</b>	<b>925</b>	<b>1179</b>
पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	<b>Ministry of Environment, Forests and Climate Change</b>	<b>1809</b>	<b>1171</b>	<b>829</b>	<b>995</b>
विदेश मंत्रालय	<b>Ministry of External Affairs</b>	<b>2750</b>	<b>5100</b>	<b>3900</b>	<b>5336</b>
वित्त मंत्रालय	<b>Ministry of Finance</b>	<b>23072</b>	<b>24035</b>	<b>17998</b>	<b>38274</b>
आर्थिक कार्य विभाग	Department of Economic Affairs	5402	9931	8344	28465
वित्तीय सेवाएं विभाग	Department of Financial Services	17667	14100	9650	9805
व्यय विभाग	Department of Expenditure	3	4	4	4
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	<b>Ministry of Food Processing Industries</b>	<b>527</b>	<b>590</b>	<b>475</b>	<b>480</b>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	<b>Ministry of Health and Family Welfare</b>	<b>24519</b>	<b>7737</b>	<b>6592</b>	<b>7824</b>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	Department of Health and Family Welfare	22476	6154	5609	6254
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	Department of Health Research	570	726	610	713
एड्स नियंत्रण विभाग	Department of AIDS Control	1473	857	373	857
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	<b>Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises</b>	<b>1200</b>	<b>2598</b>	<b>1607</b>	<b>1574</b>
भारी उद्योग विभाग	Department of Heavy Industry	1194	2589	1602	1565
सरकारी उद्यम विभाग	Department of Public Enterprises	6	9	5	9
गृह मंत्रालय	<b>Ministry of Home Affairs</b>	<b>6796</b>	<b>8922</b>	<b>4363</b>	<b>7379</b>
आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	<b>Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation</b>	<b>12781</b>	<b>15285</b>	<b>12289</b>	<b>15794</b>
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	<b>Ministry of Human Resource Development</b>	<b>57610</b>	<b>17672</b>	<b>15254</b>	<b>17672</b>
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	Department of School Education and Literacy	43684	2972	2651	2972
उच्चतर शिक्षा विभाग	Department of Higher Education	13926	14700	12603	14700

**केन्द्रीय आयोजना का मंत्रालय/विभाग-वार परिव्यय**  
**Central Plan Outlay by Ministries/Departments**  
 (स.उ. आदि के आं.ब.बा.सं. सहित including IEPR of PEs etc)

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		2013-2014 वास्तविक Actuals	2014-2015 बजट अनुमान Budget Estimates	2014-2015 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2015-2016 बजट अनुमान Budget Estimates
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information and Broadcasting	715	1205	952	1115
श्रम और रोजगार मंत्रालय	Ministry of Labour and Employment	1610	806	562	758
विधि और न्याय मंत्रालय	Ministry of Law and Justice	936	261	142	244
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	2671	3699	2872	3043
खान मंत्रालय	Ministry of Mines	1386	2379	1036	2213
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	Ministry of Minority Affairs	3007	2469	2372	2469
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	Ministry of New and Renewable Energy	1847	3941	3888	3661
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	Ministry of Overseas Indian Affairs	...	20	5	20
पंचायती राज मंत्रालय	Ministry of Panchayati Raj	467	94	80	94
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	201	279	227	260
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	Ministry of Petroleum and Natural Gas	109858	80678	74991	76615
योजना मंत्रालय	Ministry of Planning	1654	2515	1781	2115
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power	57949	60384	55488	61404
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	Ministry of Road Transport and Highways	28664	35238	28114	82697
ग्रामीण विकास मंत्रालय	Ministry of Rural Development	61111	7502	6193	7490
ग्रामीण विकास विभाग	Department of Rural Development	58623	7440	6185	7440
भू-संसाधन विभाग	Department of Land Resources	2488	62	8	50
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	Ministry of Science and Technology	5100	6725	5495	7289
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	Department of Science and Technology	2221	3125	2500	3401
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	Department of Scientific and Industrial Research	1603	2100	1600	2281
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	Department of Biotechnology	1276	1500	1395	1607
पोत परिवहन मंत्रालय	Ministry of Shipping	4177	4543	2605	4547
कौशल, विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	...	...	...	1500
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	Ministry of Social Justice and Empowerment	5418	3295	2219	3295
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	Department of Social Justice and Empowerment	5418	2734	1844	2735
अशक्तता मामले विभाग	Department of Disability Affairs	...	560	375	560
अन्तरिक्ष विभाग	Department of Space	3998	6000	4500	6000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	Ministry of Statistics and Programme Implementation	498	528	309	402
इस्पात मंत्रालय	Ministry of Steel	14033	15393	13272	13085
कपड़ा मंत्रालय	Ministry of Textiles	3131	4326	3069	3523
पर्यटन मंत्रालय	Ministry of Tourism	815	1507	604	1463
जनजातीय कार्य मंत्रालय	Ministry of Tribal Affairs	1674	925	609	1038
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development	9135	13404	11437	13196
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	531	3245	2119	1607
महिला और बाल विकास मंत्रालय	Ministry of Women and Child Development	17912	989	503	989
युवा मामले और खेल मंत्रालय	Ministry of Youth Affairs and Sports	1012	1396	862	1247
रेल मंत्रालय	Ministry of Railways	52006	63949	64302	98365
<b>कुल जोड़</b>	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>603573</b>	<b>484532</b>	<b>426811</b>	<b>578382</b>

**केन्द्रीय आयोजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम**  
**Major Programmes under Central Plan**

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

क्र.सं.	Sl.No.	2014-2015 संशोधित Revised	2015-2016 बजट Budget
<b>1.</b>	<b>1</b>	<b>8734.60</b>	<b>10669.99</b>
<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	...	3257.25
<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	2587.78	2588.60
<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	2206.64	3295.00
<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	...	481.50
<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	50.00	410.69
<b>2.</b>	<b>2</b>	<b>4062.60</b>	<b>5900.00</b>
<b>2.1</b>	<b>2.1</b>	784.00	1181.00
<b>2.2</b>	<b>2.2</b>	2716.00	3819.00
<b>3.</b>	<b>3</b>	<b>346.36</b>	<b>690.00</b>
<b>3.1</b>	<b>3.1</b>	184.29	405.85
<b>4.</b>	<b>4</b>	<b>262.81</b>	<b>448.00</b>
<b>5.</b>	<b>5</b>	<b>6000.00</b>	<b>2720.00</b>
<b>5.1</b>	<b>5.1</b>	5780.00	2500.00
<b>6.</b>	<b>6</b>	<b>500.00</b>	<b>551.00</b>
<b>1.1</b>			
<b>1.4</b>			
<b>1.5</b>			
<b>1.1</b>			
<b>1.4</b>			
<b>1.5</b>			
<b>7.</b>	<b>7</b>	<b>3235.16</b>	<b>3689.65</b>
<b>7.1</b>	<b>7.1</b>	1029.42	910.00
<b>7.2</b>	<b>7.2</b>	643.00	1200.00
<b>7.3</b>	<b>7.3</b>	78.35	310.00
<b>8.</b>	<b>8</b>	<b>5421.58</b>	<b>8236.56</b>
<b>8.1</b>	<b>8.1</b>	103.19	248.17
<b>8.2</b>	<b>8.2</b>	2086.98	2400.00

1.1 कृषियोन्नति योजना में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि सहयोग एवं कृषि विपणन संबंधी एकीकृत स्कीम, राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन, बागवानी विकास, मूल्य स्थिरता निधि, राष्ट्रीय स्थायी कृषि मिशन तथा अन्य कार्यक्रमों जैसी स्कीमों को मिलाकर, खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक अम्ब्रेला कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

1.4 डेरी विकास अभियान के तहत प्राप्ति हेतु असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित बेशी दुग्ध लाने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय डेरी योजना, डेरी उद्यमिता विकास, डेरी विकास योजना हेतु एक अम्ब्रेला कार्यक्रम होगा।

1.5 नील क्रांति, अंतर्देशीय मात्स्यिकी, मात्स्यिकी संस्थान को सहायता, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड जैसी स्कीमों और मात्स्यिकी विकास संबंधी अन्य कार्यक्रमों के लिए एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है।

1.1 Krishyonnati Yojana is envisaged as umbrella programme for focusing on food security, by merging schemes on Soil Health Card, Integrated scheme on agricultural co-operation and Agricultural Marketing, National Mission on Agriculture extension, horticulture development, price stabilization Fund, Nation Mission on sustainable agriculture and other programmes.

1.4 Dairy Vikas Abhiyaan proposes to bring surplus milk produced under unorganized sectors for procurement. The programme will be an umbrella programme for National Dairy Plan, Scheme of Dairy entrepreneurship, Dairy development plan.

1.5 Blue Revolution is an umbrella programme for schemes of inland fisheries, support to fisheries institutes, National fisheries development board and other programmes for development of fisheries.

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

क्र.सं.	Sl.No.	2014-2015 संशोधित Revised	2015-2016 बजट Budget
8.3	रक्षा सेवा नेटवर्क 8.3 Network for Defence Services	385.00	2150.00
8.4	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और दूर-संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग 8.4 Digital India Programme and Telecommunications and Electronic Industries	2108.20	2510.00
9.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 9 Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	290.00	392.00
10.	कार्पोरेट मामले मंत्रालय 10 Ministry of Corporate affairs	23.00	24.00
11.	संस्कृति मंत्रालय 11 Ministry of Culture	1500.00	1455.00
11.1	राष्ट्रीय कला संस्कृति विकास 11.1 Rastriya Kala Sanskriti Vikas	...	1455.00
7.2	दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) - दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर के विकास को डीएमआईसी ट्रस्ट औद्योगिक कॉरिडोर के आस-पड़ोस के शहरों के विकास हेतु सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करता है तथा वित्तीय संस्थाओं से भी संसाधन जुटाता है।		
7.3	मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य भारत का एक निवेश गंतव्य के रूप में संवर्धन करना और भारत में उत्पाद बनाने के लिए वैश्विक निवेश को आकर्षित करके भारत को एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करना है।		
8.4	डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला कार्यक्रम होगा जिसमें सु-अभिशासन, प्रतिरूप कक्षाएं, साइबर सुरक्षा, जनसामान्य हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क आदि शामिल होंगे।		
11.1	अम्ब्रेला कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय कला संस्कृति विकास में कला और संस्कृति, पुरातत्व, अभिलेखागार, मानव विज्ञान और संग्रहालय आदि के संवर्धन और प्रचार-प्रसार से संबंधित सभी स्कीमें शामिल होंगी।		
7.2	Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) - The development of DMIC is implemented by DMIC trust which gets grants-in-aid from Government and also raises resources from the financial institutions for development of cities around the Industrial Corridor.		
7.3	Make in India initiative aims to promote India as an investment destination and to establish India as a manufacturing hub by attracting global investors to make the product in India.		
8.4	Digital India Programme would be an umbrella programme which would include programme on good governance, virtual classrooms, Cyber security, IT for masses, National knowledge network etc.		
11.1	Rastriya Kala Sanskriti Vikas as umbrella programme will include all schemes related to promotion and dissemination of Art & Culture, Archeology, Archives, Anthropology and Museum etc.		
12.	रक्षा मंत्रालय 12 Ministry of Defence	0.00	450.00
13.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 13 Ministry of Development of North Eastern Region	470.50	536.50
13.1	पूर्वोत्तर राज्यों में आर्गेनिक खेती 13.1 Organic Farming in NE States	33.00	125.00
14.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय 14 Ministry of Drinking water and Sanitation	158.00	231.00
15.	भू-विज्ञान मंत्रालय 15 Ministry of Earth Sciences	925.00	1179.00
16.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 16 Ministry of Environment, Forests and Climate Change	828.98	995.05
16.1	पर्यावरणीय संरक्षण और अनुवीक्षण 16.1 Environmental protection and monitoring	470.05	512.26
16.2	जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन निधि संबंधी मिशन 16.2 Mission on Climate Change and Adaptation Fund	10.00	160.01
17.	विदेश मंत्रालय 17 Ministry of External Affairs	3900.00	5336.20
17.1	अंतरराष्ट्रीय सहयोग 17.1 International Cooperation	25.00	100.00
17.2	भूटान को सहायता 17.2 Aid to Bhutan	3725.00	4960.20
17.3	म्यांमार को सहायता 17.3 Aid to Myanmar	80.00	150.00
17.4	अफगानिस्तान को सहायता 17.4 Aid to Afghanistan	70.00	126.00
18.	वित्त मंत्रालय 18 Ministry of Finance	17997.26	38274.10
18.1	विशेष सहायता (नीति) 18.1 Special Assistance (NITI)	...	20000.00
18.2	असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि को अंतरण 18.2 Transfer to NSSF for Unorganised Sector Workers	107.00	607.00

क्र.सं.	Sl.No.	2014-2015 संशोधित Revised	2015-2016 बजट Budget
18.3	महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया निधि 18.3 Nirbhaya Fund for safety of Women	1000.00	1000.00
18.4	स्वच्छ ऊर्जा पहलों के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि 18.4 National Clean Energy Fund for promoting clean energy initiatives	4700.00	4700.00
18.5	आरओबी के निर्माण हेतु रेल सुरक्षा कार्य (सीआरएफ) 18.5 Railways safety works(CRF) for construction of ROBs	1496.00	1645.60
18.6	अवसंरचना विकास हेतु सहायता (वीजीएफ) 18.6 Assistance to infrastructure development (VGF)	520.00	412.50
18.7	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण 18.7 Recapitalisation of PSBs	6990.00	7940.00
12.	सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड (बीएसआरबी) - सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड का आयोजना परिव्यय सड़क एवं राजमार्ग से रक्षा मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। यह प्रावधान सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक सड़क निर्माण विकास के लिए है।		
16.2	जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन निधि - अनुकूलन स्कीम, जो इससे पहले कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का भाग थी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दी गई है और जलवायु परिवर्तन मिशन में आमेलित कर दी गई है।		
18.	विशेष सहायता - नीति के जरिए विशिष्ट हस्तक्षेप के लिए विशेष सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया है।		
18.3	महिला संरक्षा और सुरक्षा हेतु सहायक स्कीमों संबंधी निर्भया निधि की संचित राशि अब 3000 करोड़ रुपये होगी।		
12	Border Road Development Board (BRDB) - Plan outlay of BRDB has been transferred from M/o Road and Highways to M/o Defence. The provision is for development of construction of strategic road in Border Areas.		
16.2	Mission on Climate Change and Adaptation Fund - Scheme of Adaptation Fund which was hither to part of D/o Agriculture Research and Education has been transferred to M/o Environment and Forest and merged with Mission on Climate Change.		
18.1	Special Assistance - Provision has been made for providing special assistance for Specific intervention through NITI.		
18.3	Nirbhaya Fund for supporting schemes for women security and safety will have a corpus of Rs. 3000 crore now.		
19.	<b>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</b> 19 Ministry of Food Processing Industries	<b>474.68</b>	<b>480.00</b>
19.1	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु स्कीमें 19.1 Schemes for Food processing industries	474.68	480.00
20.	<b>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय</b> 20 Ministry of Health and Family Welfare	<b>6592.34</b>	<b>7824.17</b>
20.1	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 20.1 Medical and Public Health	4159.36	5174.17
20.2	पीएमएसएसवाई 20.2 PMSSY	891.00	2156.00
21.	<b>भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय</b> 21 Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises	<b>690.00</b>	<b>678.88</b>
22.	<b>गृह मंत्रालय</b> 22 Ministry of Home Affairs	4362.50	7378.98
22.1	पुलिस के लिए रिहायशी आवास निर्माण 22.1 Construction of Residential Accommodation for Police	943.61	1196.19
22.2	कार्यालय इमारत का निर्माण 22.2 Construction of office building	1458.73	2422.50
23.	<b>आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय</b> 23 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	<b>454.43</b>	<b>660.30</b>
24.	<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b> 24 Ministry of Human Resource Development	<b>15253.97</b>	<b>17672.26</b>
24.1	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 24.1 University and higher education	3592.57	4079.00
24.2	तकनीकी शिक्षा (नए आईआईटी/आईआईएम हेतु आबंटन सहित) 24.2 Technical Education (including allocation for new IITs/IIMs)	5543.91	5996.02
25.	<b>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b> 25 Ministry of Information and Broadcasting	<b>752.00</b>	<b>914.53</b>
26.	<b>श्रम और रोजगार मंत्रालय</b> 26 Ministry of Labour and Employment	<b>562.08</b>	<b>758.50</b>
27.	<b>विधि एवं न्याय मंत्रालय</b> 27 Ministry of Law and Justice	<b>141.88</b>	<b>243.65</b>
28.	<b>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</b> 28 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	<b>2500.00</b>	<b>2612.51</b>
29.	<b>खान मंत्रालय</b> 29 Ministry of Mines	<b>343.55</b>	<b>570.58</b>

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

क्र.सं.	Sl.No.	2014-2015 संशोधित Revised	2015-2016 बजट Budget	
20.2	प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई): प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तृतीयक क्षेत्र के सुदृढीकरण हेतु है, इसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे नए संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकारों के विद्यमान अस्पतालों का स्तरोन्नयन की परिकल्पना है।			
24.2	तकनीकी शिक्षा (नए आईआईटी/आईआईएम हेतु आबंटन सहित): दायरे में न आने वाले क्षेत्रों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में पहुंच का विस्तार करने के लिए आईआईटी और आईआईएम की स्थापना करना।			
20.2	The Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) : PMSSY is for strengthening the tertiary sector, envisages setting up of new AIIMS like Institutions and upgradation of existing State Government Hospitals.			
24.2	Technical Education (including allocation for new IITs/IIMs) : To set up IITs and IIMs for expanding access in technical and professional education in uncovered states.			
<b>30.</b>	<b>अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय</b>	<b>30 Ministry of Minority Affairs</b>	<b>2372.32</b>	<b>2468.78</b>
30.1	अन्डर ग्रेज्युएट तथा पोस्ट ग्रेज्युएट स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-कम मीन्स छात्रवृत्ति	30.1 Merit cum means scholarship for professional and technical courses of undergraduate and PG level	317.00	315.00
30.2	अल्पसंख्यों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति।	30.2 Pre matric scholarship for minorities	1017.00	990.00
30.3	अल्प संख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	30.3 Post matric scholarship for minorities	538.50	550.00
<b>31.</b>	<b>नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (सकल बजट)</b>	<b>31 Ministry of New and Renewable Energy (Gross Budget)</b>	<b>2519.00</b>	<b>2787.67</b>
	ग्रिड इंटरैक्टिव एन्ड डिस्ट्रीब्यूटिड रिन्यूएबल पावर	Grid Interactive and Distributed Renewable Power	1800.00	2410
32.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	32 Ministry of Overseas Indian Affairs	5.00	20.00
33.	पंचायती राज मंत्रालय	33 Ministry of Panchayati Raj	80.00	94.00
34.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	34 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	227.00	260.15
35.	पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय	35 Ministry of Petroleum and Natural Gas	2402.00 *	50.00
36.	योजना मंत्रालय	36 Ministry of Planning	1780.73	2114.52
36.1	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	36.1 Unique ID Authority of India	1617.73	2000.00
37.	विद्युत मंत्रालय	37 Ministry of Power	5700.00	6799.74
37.1	ग्रामीण विद्युतीकरण - दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/ (डीडीयूजीजेवाई)	37.1 Rural electrification - Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna / (DDUGJY)	...	4230.00
38.	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	38 Ministry of Road Transport and Highways	25114.40	40002.65
38.1	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सीआरएफ पीबीएफएफ से निवेश)	38.1 National Highway Authority of India (investment from CRF and PBFF)	15013.81	29420.09
37.1	ग्रामीण विद्युतीकरण - दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना: यह स्कीम फीडर पृथक्कीकरण, नए सब-स्टेशन माइक्रो-ग्रिड का निर्माण और एचटी/एलटी आफ ग्रिड संवितरण नेटवर्क तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए है।			
38.1	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण - राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास हेतु।			

\* संशोधित अनुमान 2014-15 में विशाखापट्टनम पर भूमिगत चट्टानों के बीच रणनीतिक कच्चा तेल भण्डारण के लिए पहली बार निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

37.1 Rural electrification - Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna: This scheme is for feeder separation, creation of new sub-stations micro-grid and off grid distribution network HT/LT lines and other rural electrification.

38.1 National Highway Authority of India - For development of National Highway.

\* Fund provided for the first time for strategic crude oil storages in underground rock caverns at Visakhapatnam in RE 2014-15.

क्र.सं.	Sl.No.	2014-2015 संशोधित Revised	2015-2016 बजट Budget
<b>39. ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>	<b>39 Ministry of Rural Development</b>	<b>6192.71</b>	<b>7490.00</b>
39.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (आरएमजीएसवाई) (केंद्रीय योजना)	39.1 Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY)(Central Plan)	4185.41	4134.25
39.2 रुरबन मिशन	39.2 RURBAN Mission	2.00	300.00
39.3 ग्राम उद्यमिता आरम्भन कार्यक्रम	39.3 Village Entrepreneurship Start up Programme	1.00	200.00
<b>40. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	<b>40 Ministry of Science and Technology</b>	<b>5495.00</b>	<b>7289.30</b>
<b>41. पोत परिवहन मंत्रालय</b>	<b>41 Ministry of Shipping</b>	<b>452.50</b>	<b>932.79</b>
41.1 सागर माला परियोजना तथा मुख्य पत्तन	41.1 Sagar Mala project and Major ports	254.52	389.50
41.2 जल परिवहन सेवाओं का विकास - भारतीय राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण को अनुदान	41.2 Development of water transport services - Grants to Inland water transport Authority of India	116.98	300.00
<b>42. कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय</b>	<b>42 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship</b>	<b>0.00</b>	<b>1500.00</b>
42.1 राष्ट्रीय कौशल अधिप्रमाणन तथा मौद्रिक पुरस्कार स्कीम	42.1 National skill certification and monetary reward scheme	...	1350.00
42.2 कौशल विकास योजना	42.2 Kaushal Vikas Yojana	...	150.00
39.1 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (केंद्रीय योजना): यह कार्यक्रम देश के ग्रामीण इलाकों में कोर नेटवर्क में पहले से न जुड़ी सभी बस्तियों में को कनेक्ट करने से संबंधित है।			
39.1 रुरबन: यह स्कीम ग्रामीण और शहरी छोर पर रहे कस्बाई क्लस्टरों के अन्तराल को पाटने और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी इलाकों में होने वाले प्रवास को घटाने और विलोमतः प्रवास को सुसाध्य बनाने के लिए है।			
41.1 सागर माला परियोजना तथा प्रमुख पत्तन: यह स्कीम पत्तनों के विकास के लिए है और इसमें अवसंरचना भी शामिल है।			
41.2 जल परिवहन सेवाओं का विकास: भारतीय राष्ट्रीय जल परिवहन प्राधिकरण को अनुदान: यह योजना परिव्यय, नदी संरक्षण, राष्ट्रीय जलमार्गों की सहायताार्थ टर्मिनल नेवीगेशनल सहायताओं के लिए प्रयुक्त होता है।			
42. कौशल विकास तथा उद्यमिता विकास मंत्रालय : कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता और युवाओं में रोजगार संभावना में सुधार की दृष्टि से कौशल विकास योजना का विस्तार किया जा रहा है तथा अनुषंगी कौशल संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।			
39.1 Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY)(Central Plan) : The programme envisages connecting all unconnected habitations existing in the Core Network, in rural areas of country.			
39.2 RURBAN : The scheme is to improve the quality of life standard of living in Rurban clusters to bridge the rural urban divide and to reduce migration from rural to urban areas and facilitate reverse migration.			
41.1 Sagar Mala project and Major Ports : The scheme for development of ports and there attendant infrastructure.			
41.2 Development of water transport services - Grants to Inland water transport Authority of India : The Plan outlay is used on river conservancy, construction of terminal navigational aids of National Waterways.			
42 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship : A new Ministry has been created to increase the availability of skilled manpower and improve the employability of youth. Kaushal Vikas Yojana to up-scale and align skilling initiatives.			
<b>43. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</b>	<b>43 Ministry of Social Justice and Empowerment</b>	<b>2219.28</b>	<b>3295.15</b>
43.1 एस.सी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	43.1 Special Central Assistance to SC Sub Plan	686.00	1090.74
43.2 राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप	43.2 Rajiv Gandhi National Fellowship	147.00	200.55
43.3 स्कैवेन्जर्स के पुनर्वास तथा मुक्ति के लिए स्व-रोजगार स्कीम	43.3 Self-Employment Scheme of Liberation and Rehabilitation of Scavengers	47.00	460.99
43.4 विकलांगों का कल्याण	43.4 Welfare of Handicapped	302.29	468.11
<b>44. अन्तरिक्ष विभाग</b>	<b>44 Department of Space</b>	<b>4500.00</b>	<b>6000.19</b>
<b>45. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय</b>	<b>45 Ministry of Statistics and Programme Implementation</b>	<b>309.32</b>	<b>402.50</b>
<b>46. इस्पात मंत्रालय</b>	<b>46 Ministry of Steel</b>	<b>7.00</b>	<b>15.00</b>
<b>47. वस्त्र मंत्रालय</b>	<b>47 Ministry of Textiles</b>	<b>3068.53</b>	<b>3523.32</b>



(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

क्र.सं.	Sl.No.	2014-2015 संशोधित Revised	2015-2016 बजट Budget
<b>48. पर्यटन मंत्रालय</b>	<b>48 Ministry of Tourism</b>	<b>604.00</b>	<b>1463.20</b>
48.1 स्वदेश दर्शन (घरेलू पर्यटक सर्किट)	48.1 Swadesh Darshan (Domestic tourist circuit)	...	600.00
48.2 प्रसाद	48.2 PRASAD	...	100.00
<b>49. जनजातीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>49 Ministry of Tribal Affairs</b>	<b>609.44</b>	<b>1038.35</b>
<b>50. शहरी विकास मंत्रालय</b>	<b>50 Ministry of Urban Development</b>	<b>7717.51</b>	<b>10030.18</b>
50.1 शहरी निर्मलीकरण मिशन-500 वासस्थलों और 100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन	50.1 Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations and Mission for Development of 100 smart Cities	...	5898.99
50.2 राष्ट्रीय धरोहर नगर कार्यक्रम	50.2 National Heritage Cities Programme	200.00	200.00
50.3 मेट्रो परियोजना	50.3 Metro Projects	6020.27	8260.00
43.1 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एस.सी. उप प्लान के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उफलब्ध कराई जा रही है, जोकि अनुसूचित जाति उप-योजना को विनिर्मित तथा कार्यान्वित कर रही है।			
48.1 स्वदेश दर्शन (घरेलू पर्यटक सर्किट): पर्यटक अवसंरचना के विकास और उसकी वृद्धि के लिए स्वदेश दर्शन (पर्यटक सर्किट) का प्रावधान किया गया है।			
48.2 तीर्थ यात्रा केंद्रों के सौन्दर्यकरण के लिए प्रसाद।			
50.1 शहरी निर्मलीकरण मिशन 500 बसावटों तथा 100 स्मार्ट शहरों हेतु मिशन: बढ़ते हुए शहरीकरण तथा विश्वस्तरीय शहरी संरचना की जरूरत के लिए व्यापक स्कीम।			
50.4 मेट्रो परियोजना: यह प्रावधान अधीनस्थ ऋणों, दिल्ली मेट्रो, बंगलौर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, मुम्बई मेट्रो, जयपुर मेट्रो, कोंची मेट्रो, विजाग मेट्रो, विजयवाड़ा मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, नागपुर मेट्रो तथा अन्य मेट्रो रेल परियोजनाओं में व्यवस्था के मार्फत इक्विटी निवेश और पास थ्रू अरेंजमेंट के लिए है।			
43.1 Special Central Assistance to SC Sub Plan is being provided to 28 States / Union Territories, which are formulating and implementing the Scheduled Castes Sub-Plan.			
48.1 Swadesh Darshan (Domestic tourist circuit) : To develop and enhance tourist infrastructure a provision is made for developing Swadesh Darshan (Tourist circuits).			
48.2 PRASAD for Beautification of Pilgrimage Centres.			
50.1 Urban Rejuvenation Mission -500 Habitations and Mission for Development of 100 Smart Cities : Comprehensive schemes to address the growing urbanization and need for world class urban infrastructure.			
50.4 Metro Projects : The provision is for subordinate debt, equity Investment and Pass through arrangement in Delhi Metro, Bangalore Metro, Chennai Metro, Kolkata Metro, Mumbai Metro, Jaipur Metro Kochi Metro, Vizag Metro, Vijayawada Metro, Ahmedabad Metro, Lucknow Metro, Nagpur Metro as well as other Metro Rail Projects.			
<b>51. जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा निर्मलीकरण मंत्रालय (सकल बजट)</b>	<b>51 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (Gross Budget)</b>	<b>6900.00</b>	<b>5707.00</b>
51.1 राष्ट्रीय गंगा योजना -नमामि गंगे	51.1 National Ganga Plan - Namami Gange	1500.00	2100.00
<b>52. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>	<b>52 Ministry of Women and Child Development</b>	<b>503.23</b>	<b>988.94</b>
52.1 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान	52.1 Beti Bachao Beti Padhao Campaign	50.00	100.00
<b>53. खेल तथा युवा मामले मंत्रालय</b>	<b>53 Ministry of Youth Affairs and Sports</b>	<b>862.11</b>	<b>1247.19</b>
<b>54. रेल मंत्रालय</b>	<b>54 Ministry of Railways</b>	<b>30100.00</b>	<b>40000.00</b>
51.1 राष्ट्रीय गंगा योजना - गंगा की सफाई के लिए एक विशाल कार्यक्रम बनाया गया है। यह राशि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एन.सी.ई.एफ.) से पूरी की जाएगी।			
52.1 बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ - पूरे देश में बालिका लिंग अनुपात के गिरते स्तर और इस मामले पर एक व्यापक जन अभियान चलाने के लिए एक अभिकेंद्रित तथा बहु क्षेत्रक कार्य योजना बनाई गई है।			
51.1 National Ganga Plan - Namami Gange : A comprehensive programme for cleaning of Ganga. The amount is to be met from National Clean Energy Fund (NCEF).			
52.1 Beti Bachao Beti Padhao aims to address the issue of declining Child Sex Ratio through a mass campaign across the country and focused intervention and multi sectoral action.			

**राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजना का मंत्रालय/विभाग-वार परिव्यय**  
**State and U.T. Plan Outlay by Ministries/Departments**

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		2013-2014	2014-2015	2014-2015	2015-2016
		वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट
		Actuals	अनुमान Budget Estimates	अनुमान Revised Estimates	अनुमान Budget Estimates
1. कृषि मंत्रालय	1. Ministry of Agriculture	8527	17498	15094	11150
2. आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	2. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	...	364	118	300
3. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	3. Ministry of Commerce and industry	...	800	565	...
4. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	4. Ministry of Communications and Information Technology	...	750	444	...
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	5. Ministry of Development of North Eastern Region	1564	1770	1330	1798
6. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	6. Ministry of Drinking Water and Sanitation	...	15026	11939	6000
7. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	7. Ministry of Environment and Forests	...	871	721	450
8. वित्त मंत्रालय	8. Ministry of Finance	85559	72332	68021	16000
9. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	9. Ministry of Food Processing Industries	...	175	125	...
10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	10. Ministry of Health and Family Welfare	...	25095	19480	18500
11. गृह मंत्रालय	11. Ministry of Home Affairs	...	2587	2224	990
12. आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	12. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	...	4525	2528	4500
13. मानव संसाधन विकास मंत्रालय	13. Ministry of Human Resource Development	262	50694	41044	36841
14. श्रम और रोजगार मंत्रालय	14. Ministry of Labour and Employment	...	1687	883	1390
15. विधि और न्याय मंत्रालय	15. Ministry of Law and Justice	5	782	846	500
16. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	16. Ministry of Minority Affairs	...	1232	767	1232
17. पंचायती राज मंत्रालय	17. Ministry of Panchayati Raj	2995	6906	3320	...
18. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	18. Ministry of Road Transport and Highways	2567	2607	2607	2868
19. ग्रामीण विकास मंत्रालय	19. Ministry of Rural Development	...	76194	64399	65673
20. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	20. Ministry of Social Justice and Empowerment	...	3427	3535	3727
21. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	21. Ministry of Statistics and Programme Implementation	3937	3950	3950	3950
22. कपड़ा मंत्रालय	22. Ministry of Textiles	...	505	432	...
23. पर्यटन मंत्रालय	23. Ministry of Tourism	...	357	495	...
24. जनजातीय कार्य मंत्रालय	24. Ministry of Tribal Affairs	2147	3554	3241	3754
25. शहरी विकास मंत्रालय	25. Ministry of Urban Development	...	7040	2432	6000
26. जल संसाधन मंत्रालय	26. Ministry of Water Resources	...	9992	3281	2000
27. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	27. Ministry of Women and Child Development	38	19818	17764	9000
28. युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	28. Ministry of Youth Affairs and Sports	...	227	137	120
29. संघ राज्य क्षेत्र	29. Union Territories	5248	7645	6445	8041
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए कुल केन्द्रीय सहायता</b>	<b>Total Central Assistance for State and Union Territory Plans</b>	<b>112849</b>	<b>338408</b>	<b>278168</b>	<b>204784</b>

## राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम Major Programmes under Central Assistance for State Plans

सरकार ने "सहकारी संघवाद" की भावना से राज्यों को केन्द्रीय करों का 42% अंतरण करने की चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा यथापरिकल्पित वित्तीय अंतरण में मिश्रित बदलाव हासिल करने के लिए राज्यों की योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता पुनर्संरचित की गई है

केन्द्रीय वित्त साधनों पर दबाव के बावजूद सरकार ने गरीब और सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए कल्याण कार्यक्रम अपरिवर्तित तरीके से चलाने का निर्णय लिया है। इसी तरह केंद्र की कानूनी/संवैधानिक बाध्यता और माननीय संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा के लिए उपलब्ध विशेषाधिकार पूर्णतया संरक्षित हैं।

राज्यों के पास उपलब्ध वर्धित संसाधनों के कारण कुछ कार्यक्रम परिवर्तित बंटवारा पद्धति से चलाए जाएंगे। कुछ कार्यक्रमों के संबंध में ही केन्द्रीय सहायता अलग की जाएगी। ये कार्यक्रम या तो अंतरण का हिस्सा बने हैं अथवा राज्य इन कार्यक्रमों को जारी (अथवा नहीं) रखेंगे।

राज्यों की आयोजनाओं को केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम निम्न सूची के अनुसार हैं:-

In the spirit of "Cooperative Federalism" Government has accepted the recommendations of Fourteenth Finance Commission to develop 42% of Union Taxes to States. To achieve the compositional shift in fiscal transfer as envisaged by Fourteenth Finance Commission, Central Assistance to State Plan has been restructured.

Despite pressure on Union Finances, Government has decided to run welfare programmes for poor and socially disadvantaged in an unchanged manner. Similarly legal/constitutional obligation of Union and privilege available to Hon'ble Member's of Parliament for serving their constituents are fully protected.

On account of enhanced resources available with state some programmes will be run with a changed sharing pattern. Only in respect of some programmes, Union support will be delinked. These Programmes have either become a part of devolution or States will continue (or not) with these programmes.

Major programmes under Central assistance to State Plan are as given in the list below: -

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		2014-2015 संशोधित Revised	2015-2016 बजट Budget
<b>क.</b>	<b>केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण सहायता प्राप्त करने वाली स्कीम जिसमें से मुख्य मदें</b>		
	<b>(A) Schemes to be fully supported by Union Government of which major items</b>		
1	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	11900.00	12500.00
2	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3200.00	3500.00
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	9959.59	10100.00
4	केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित सड़कें और पुल	2607.06	2868.00
5	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	3950.00	3950.00
6	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल से अनुदान	704.50	970.00
7	पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों	549.00	740.00
8	बोडोलैण्ड टैरीटोरियल काउंसिल के लिए विशेष पैकेज	30.00	50.00
9	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	7187.95	9000.00
10	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत स्कीमों हेतु सहायता	1134.68	1367.00

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		2014-2015 संशोधित Revised	2015-2016 बजट Budget
11	जनजाति उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	1040.03	1250.00
12	अनु. जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला स्कीमें	1065.85	1136.84
13	प्रारंभिक शिक्षा कोष से वित्तपोषित स्कीमें	22249.26	27575.00
14	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मगनरेगा)	32456.00	33700.00
15	अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	766.46	1232.00
16	एससी, एसटी और ओबीसी के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम	3286.54	3291.00
17	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	33.00	200.00
18	शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास को सहायता	919.13	1012.50
19	सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	800.00	990.00
20	प्रोजेक्ट टाइगर	161.02	136.46
21	प्रोजेक्ट एलिफैन्ट	14.00	13.70
22	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	358.40	400.00
23	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम	539.74	1290.52

**(ख) परिवर्तित साझा पैटर्न से चलाई जाने वाली स्कीम**

(इन स्कीमों के संबंध में केंद्र: राज्य निधिपोषण पद्धति में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम के लिए कुल संसाधनों में कोई परिवर्तन न हो, चौदहवें वित्त आयोग पंचाट को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जाएगा। अतः कार्यक्रम के लिए कुल वित्त पोषण में कोई बदलाव नहीं होगा।)

**(B) Schemes to be run with the Changed Sharing Pattern**

(In respect of these schemes Centre: States funding pattern will undergo a change in view of FFC award to ensure that the total resources for the programme are not changed. Thus total finances for the programme will not undergo change.)

	<i>जिसमें से मुख्य मदें</i>	<i>of which major items</i>	
1	<b>कृषोन्नति योजना (राज्य आयोजना)</b>	<b>1</b> <b>Krishonnati Yojana (State Plan)</b>	<b>14173.81</b> <b>9000.00</b>
	<i>जिसमें</i>	<i>of which</i>	
	क राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	a Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)	8444.00 4500.00
	ख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	b National Food Security Mission	1830.00 1300.00
	ज कृषि विकास उप-मिशन	c Sub-Mission on Agriculture Extension	470.08 450.00
2	<b>प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना</b>	<b>2</b> <b>Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana</b>	<b>5623.26</b> <b>5300.00</b>
	<i>जिसमें</i>	<i>of which</i>	
	क प्रति बूंद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई)	a Per Drop More Crop (Micro Irrigation)	30.00 1800.00
	ख प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलसंभर घटक)	b Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (Watershed Component) erstwhile	
	भूतपूर्व एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम	Integrated Watershed Management Programme (IWMP)	2312.70 1500.00
	ग त्वरित सिंचाई लाभ और	c Accelerated Irrigation Benifit and	
	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	Flood Managment Programme	3276.56 1000.00
	घ प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	d Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana	4.00 1000.00

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		2014-2015 संशोधित Revised	2015-2016 बजट Budget
3	अम्ब्रेला कार्यक्रम "स्वच्छ भारत अभियान" (इसमें स्वच्छता और पेयजल शामिल हैं)	11938.50	6000.00
3	<b>Umbrella programme "Swaccha Bharat Abhiyaan" (includes Sanitation and Drinking Water)</b>		
4	वन रोपण और वन्य प्राणी बसाव विकास	545.62	299.39
4	<b>Afforestation and development of Wildlife Habitats</b>		
5	राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	890.89	500.00
5	<b>National AIDS and STD Control Programme</b>		
6	आयुष का संवर्धन	117.36	300.00
6	<b>Promotion of AYUSH</b>		
7	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	17433.99	18000.00
7	<b>National Health Mission</b>		
8	राष्ट्रीय आजीविका मिशन	2034.40	1800.00
8	<b>National Livelihoods Mission</b>		
9	माध्यमिक शिक्षा	3432.39	3493.00
9	<b>Secondary Education</b>		
10	उच्चतर शिक्षा	1411.42	1632.77
10	<b>Higher Education</b>		
11	सभी के लिए आवास	12393.87	14000.00
11	<b>Housing For All</b>		
12	शहरी पुनरुद्धार मिशन-500 आवास और 100 स्मार्ट शहरो का विकास मिशन	2431.10	6000.00
12	<b>Urban Rejuvenation Mission-500 Habitations and Mission for Development of 100 Smart Cities</b>		
13	एकीकृत बाल विकास सेवा	16316.05	8000.00
13	<b>Integrated Child Development Service</b>		

## (ग) केन्द्रीय सहायता से असंबद्ध स्कीमों

(ये कार्यक्रम इसके पश्चात् राज्यों द्वारा उनके वर्धित संसाधनों से चलाए जाएंगे अथवा चौदहवें वित्त आयोग पंचाट में शामिल कर दिए गए हैं)।

## (C) Schemes delinked from Union Support

(These programmes will hence forth be either run by the States from their enhanced resources or they have been subsumed in the FFC award).

1.	राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्य योजना (एनईजीएपी)	464.00	...
1	<b>National e-Governance Action Plan (NeGAP)</b>		
2	पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण की राष्ट्रीय योजना	1433.20	...
2	<b>National Scheme for Modernisation of Police and Other Forces</b>		
3	उत्कृष्टता के प्रतीकस्वरूप ब्लाक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना हेतु स्कीम	1020.99	1.00
3	<b>Scheme for setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence</b>		
4	निर्यात अवसंरचना विकसित करने तथा अन्य संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता स्कीम	564.84	...
4	<b>Scheme for Central Assistance to the States for developing export infrastructure and other allied activities</b>		
5	पर्यटन अवसंरचना	495.00	...
5	<b>Tourist Infrastructure</b>		
6	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि-राज्य घटक	3450.00	...
6	<b>Backward Regions Grant Fund-State Component</b>		
7	सामान्य केन्द्रीय सहायता	26814.00	...
7	<b>Normal Central Assistance</b>		
8	अन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1780.00	...
8	<b>Other Additional Central Assistance</b>		
9	विशेष केन्द्रीय सहायता	10150.00	...
9	<b>Special Central Assistance</b>		
10	विशेष केन्द्रीय सहायता पहाड़ी क्षेत्र	220.00	...
10	<b>Special Central Assistance-Hill Areas</b>		
11	विशेष आयोजना सहायता	7666.00	...
11	<b>Special Plan Assistance</b>		
12	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि	2837.00	...
12	<b>Backward Regions Grants Fund</b>		

## आयोजना 2015-2016 की विशेषताएं Highlights of Plan 2015-2016

वर्ष 2015-16 का आयोजनागत परिव्यय चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय करों के 42% उच्च अंतरण को देखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के लिए किए जाने वाले आवंटनों में संरचनात्मक बदलाव परिलक्षित करता है। इस महत्वपूर्ण उच्च अंतरण के परिणामस्वरूप, राज्य विषयों से संबंधित अनेक स्कीमों, केंद्रीय सहायता से बाहर हो जाएंगी। तथापि, इस तथ्य कि इन स्कीमों में से कुछ स्कीमों राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य से बनायी गयी स्कीमों, को ध्यान में रखते हुए, केंद्र ने यह निर्णय किया है कि ऐसी योजनाओं के लिए योगदान किया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, कानूनी बाध्यताओं के अधिदेश वाली स्कीमों और उपकर संग्रहण के उद्देश्य वाली स्कीमों के लिए पूर्णतया व्यवस्था की गयी है। केंद्र ने कुछ ऐसी योजनाओं के लिए भी पूर्णतया सहायता देने का निर्णय लिया है जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के फायदों के उद्देश्य की होती है। केंद्र प्रायोजित केवल 8 स्कीमों केंद्र की सहायता से हटेंगी। केंद्र प्रायोजित कुछ स्कीमों के मामले में, राज्यों का हिस्सा अधिक हो जाने से केंद्र: राज्य वित्तपोषण पद्धति में बदलाव होगा। विभाजन पद्धति में परिवर्तनों का ब्यौरा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा तैयार किया जाएगा। 2015-16 में आयोजनागत परिव्ययों का ब्यौरा निम्नवत है जिन्हें पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाएगा।

अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने राजकोषीय दबाव के बावजूद पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि की है। सं.अ. 2014-15 में ₹192378 करोड़ के पूंजीगत व्यय की तुलना में 2015-16 में पूंजीगत व्यय ₹241431 करोड़ का होगा। यह 25.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

The Plan outlay of 2015-16 reflects the compositional shift in the allocations for various Programmes and Schemes in view of higher devolution; 42% of Union Taxes, to States as per the recommendation of 14<sup>th</sup> Finance Commission. Consequent to this substantially higher devolution, many schemes on the state subjects are to be delinked from Central support. However, keeping in mind that some of these schemes represent national priorities especially those targeted at poverty alleviation, Centre has decided that it will continue to contribute to such schemes. Besides, the schemes mandated by legal obligations and those backed by Cess collection have been fully provided for. Centre has also decided to support fully for some schemes which are targeted to the benefits of socially disadvantaged group. Only 8 Centrally Sponsored Schemes are to be delinked from support from the Centre. In case of some Centrally Sponsored Schemes, the Centre:State funding pattern will undergo a change with States to contribute higher share. Details of changes in sharing pattern will have to be worked out by administration ministries. The details of Plan outlays in 2015-16 indicated below are to be seen against this backdrop.

To enhance public spending in the economy, government has significantly enhanced the capital expenditure despite fiscal pressure. In comparison to capital spending of ₹192378 crore in RE 2014-15, the capital spending will be ₹ 241431 crore in 2015-16. This will be a growth of 25.5 per cent.

(₹ करोड़)	(₹ in Crore)
<p><b>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना</b></p> <p>- 34699 वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसमें वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को राजी हों को 100 दिवस सवेतन रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करने हेतु। 01.04.2008 से ग्रामीण क्षेत्रों वाले सभी जिलों को नरेगा के अंतर्गत लाया गया है।</p> <p><b>राष्ट्रीय आजीविका मिशन (ग्रामीण एवं शहरी)</b></p> <p>- 3343 गरीब ग्रामीण तथा शहरी परिवारों को लाभप्रद स्व-रोजगार तथा कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों की पहुंच से सशक्त बनाकर उनकी गरीबी दूर करने हेतु। यह समाज के दुर्बल वर्गों जिनमें अ.जा./अ.ज.जा., महिला, अल्पसंख्यक और निःशक्त व्यक्ति शामिल हैं, को पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करेगी।</p> <p><b>सभी के लिए आवास (शहरी और ग्रामीण)</b></p> <p>- 14200 गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को मकानों के निर्माण तथा कच्चे मकानों को पक्का करने हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए। घरों के निर्माण के लिए कुल आवंटन की 60% राशि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे अनु.जाति/अनु.ज.जाति के परिवारों के लिए है। सरदार पटेल शहरी आवास-निर्माण स्कीम शहरी गरीब व्यक्तियों की आवास आवश्यकताओं का समाधान करेगी।</p>	<p><b>Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme</b></p> <p>- 34699 for providing a legal guarantee of 100 days of wage employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. All the districts covering rural areas have been brought under NREGA with effect from 01.04.2008.</p> <p><b>National Livelihood Mission (Rural &amp; Urban)</b></p> <p>- 3343 for reducing poverty by enabling the poor Rural and Urban households to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities. It would ensure adequate coverage of vulnerable sections of the society including SCs/STs, women, minorities and persons with disabilities.</p> <p><b>Housing for all (Rural and Urban)</b></p> <p>- 14200 for providing assistance to rural and urban BPL households for construction of houses and upgradation of kutchha houses. 60% of the total allocation is for construction of houses for BPL families of SCs/STs. Sardar Patel Urban Housing Scheme will address the housing requirement of urban poor.</p>

**प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना**

- 14291 अच्छी बारहमासी सड़कों के जरिए कनेक्ट न हुए पात्र ग्रामीण निवासियों हेतु कनेक्टिविटी की व्यवस्था कराने हेतु। मौजूदा ग्रामीण सड़कों का व्यवस्थित स्तरोन्नयन भी इस स्कीम का अनिवार्य भाग है।

**राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम**

- 9074 गरीबों को राज्यों द्वारा प्रदान किये जा रहे लाभों के अतिरिक्त सामाजिक सहायता हेतु न्यूनतम राष्ट्रीय मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए।
- **6000 स्वच्छ भारत**
- 2500 सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयासों में राज्यों को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम
- 3500 ग्रामीण स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान

**सिंचाई****5300 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना**

- 1800 सूक्ष्म कृषि का विकास (प्रति बूंद अधिक फसल)
- 1500 एकीकृत जलसंभर विकास कार्यक्रम
- 2000 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम सहित)

**कृषि****12257 कृषोन्नति योजना (केंद्र और राज्य)****जिसमें**

- 4500 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्य आयोजना)
- 2823 राष्ट्रीय फसल बीमा योजना हेतु
- 1300 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु
- 835 राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन

**पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी**

- 482 डेयरी विकास अभियान
- 411 नील क्रांति (अंतर्देशीय और समुद्री मात्स्यिकी सहित)

**खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण**

- 90 भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों के लिए गोदामों के निर्माण हेतु।
- 155 भाण्डागारण क्षमता के निर्माण हेतु।
- 80 सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों के कंप्यूटरीकरण हेतु।

**पर्यावरण एवं वन**

- 688 वानिकी (राष्ट्रीय वनीकरण और परिस्थिति विकास) तथा वन्य जीवन हेतु।
- 758 पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण हेतु।

**सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम**

- 1050 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु।
- 300 अवसंरचना विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु।

**उपभोक्ता मामले**

- 120 उपभोक्ता जागरूकता तथा उपभोक्ता संरक्षण हेतु।
- 33 भारांश और उपायों के सुदृढीकरण हेतु।

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**

- 22000 सर्व शिक्षा अभियान हेतु।
- 8900 स्कूलों में मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु।
- 3565 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु।

**उच्चतर शिक्षा**

- 6705 तकनीकी शिक्षा हेतु।
- 3905 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु।
- 1155 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु।
- 200 आईसीटी द्वारा शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन।

**महिला एवं बाल विकास**

- 8754 एकीकृत बाल विकास सेवाओं हेतु (आईसीडीएस)।
- 402 एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम हेतु।

**Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana**

- 14291 for providing connectivity to eligible unconnected rural habitations through good all-weather roads. The systematic upgradation of existing rural roads is also an essential component of the scheme.

**National Social Assistance Programme**

- 9074 for ensuring minimum national standard for social assistance to poor in addition to the benefits that States are providing.
- **6000 SWACHH BHARAT**
- 2500 National Rural Drinking Water Programme for supplementing the States in their effort to provide safe drinking water to all rural habitations.
- 3500 Swachh Bharat Abhiyan for rural sanitation.

**IRRIGATION****5300 Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana**

- 1800 Development of Micro irrigation (per drop more crop)
- 1500 Integration Watershed Development Programme
- 2000 Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (including accelerated irrigation benefit and flood management programme)

**AGRICULTURE****12257 Krishonnati Yojana (Centre and State)****of which**

- 4500 for Rashtriya Krishi Vikas Yojana (State Plan).
- 2823 for National Crop Insurance Programme.
- 1300 for National Food Security Mission.
- 835 for National Mission for Sustainable Agriculture.

**ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES**

- 482 Dairy Vikas Abhiyan
- 411 Blue Revolution (including inland and marine fisheries)

**FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

- 90 for construction of Godowns by Food Corporation of India/State Governments.
- 155 for construction of warehousing capacity.
- 80 for computerization of Public Distribution System operations.

**ENVIRONMENT AND FORESTS**

- 688 for Forestry (National Afforestation and Eco-Development) and Wild Life.
- 758 for Ecology and Environment.

**MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**

- 1050 for Prime Minister's Employment Generation Programme.
- 300 for Infrastructure Development and Capacity Building

**CONSUMER AFFAIRS**

- 120 for Consumer Awareness and Consumer Protection.
- 33 for strengthening Weights and Measures.

**SCHOOL EDUCATION AND LITERACY**

- 22000 for Sarva Shiksha Abhiyan
- 8900 for National Programme of Mid Day Meals in Schools.
- 3565 for Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan.

**HIGHER EDUCATION**

- 6705 for Technical Education.
- 3905 for University Grants Commission.
- 1155 for Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan.
- 200 for National Mission in Education through ICT

**WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**

- 8754 for Integrated Child Development Services (ICDS).
- 402 for Integrated Child Protection Scheme.

- 438 इंदिरागांधी मातृत्व सहयोग योजना हेतु।
- 100 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान

**सूचना प्रौद्योगिकी**

- 2510 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों (अम्ब्रेला कार्यक्रम) हेतु।

**दूर संचार**

- 2400 सार्वभौमिक सेवाबाधता निधि (राष्ट्रीय और सुदूरवर्ती टेलीफोन) (ग्रामीण और दूरस्थ टेलीफोन)
- 2400 रक्षा सेवा नेटवर्क हेतु।

**स्वास्थ्य**

- 18000 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- 5174 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य हेतु।
- 630 चिकित्सा संस्थाएं।

**आयुष**

- 137 आयुर्वेद प्रणाली के विकास हेतु।
- 89 यूनानी प्रणाली के विकास हेतु।
- 126 होम्योपैथी प्रणाली के विकास हेतु।
- 54 योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के विकास हेतु।

**सूचना तथा प्रसारण**

- 635 प्रसारण क्षेत्र हेतु।
- 71 सूचना क्षेत्र हेतु।
- 208 फिल्म क्षेत्र हेतु।

**शहरी विकास**

- 6000 शहरी पुनरुद्धार मिशन 500 बस्तियों और 100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु।
- 8385 मेट्रो रेल परियोजनाओं में इक्विटी निवेश के लिए।
- 200 राष्ट्रीय विरासत शहरों के कार्यक्रम हेतु।
- **40003 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

*जिसमें*

- 29420 टोल प्रेषण सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश हेतु।
- 1200 वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संबद्धता के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम हेतु।
- 4000 पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम।

**विद्युत**

- 4500 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हेतु।

**कपड़ा**

- 1520 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम हेतु।
- 257 एकीकृत टेक्सटाइल पार्क हेतु।

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता**

- 1599 अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु।
- 885 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु।

**निःशक्त मामले**

- 125 विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता और उपकरणों हेतु
- 105 व्यक्तियों के लिए सहायता और उपकरणों हेतु

**जनजातीय कार्य**

- 1367 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक (I) के अंतर्गत स्कीम के लिए सहायता
- 1250 जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता।
- 1137 अ.ज.जा. के बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रेला योजना हेतु।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास**

- 225 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के तीव्र विकास के लिए पूर्वोत्तर सड़क निगम हेतु।
- 125 पूर्वोत्तर राज्यों में आर्गेनिक कृषि के उन्नयन हेतु।
- 90 संसाधनों (केन्द्रीय) के अ-व्यपगतनीय पूल हेतु।

**अल्पसंख्यक मामले**

- 1244 अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रमों हेतु।

- 438 for Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana.
- 100 for Beti Bachao Beti Padhao Campaign

**INFORMATION TECHNOLOGY**

- 2510 Digital India Programme and telecommunication and Electronic Industries (Umbrella Programme)

**TELECOMMUNICATIONS**

- 2400 for schemes under Universal Service Obligation Fund (Rural and Remote telephony).
- 2400 for Network for Defence Services.

**HEALTH**

- 18000 National Health Mission.
- 5174 Medical and Public Health.
- 630 Medical Institutions.

**AYUSH**

- 137 for development of Ayurveda system.
- 89 for development of Unani system.
- 126 for development of Homoeopathy system.
- 54 for development of Yoga and Naturopathy system.

**INFORMATION AND BROADCASTING**

- 635 for broadcasting sector.
- 71 for information sector.
- 208 for film sector.

**URBAN DEVELOPMENT**

- 6000 Urban Rejuvenation Mission - 500 habitation and mission for development of 100 smart cities.
- 8385 for equity investment in Metro Rail Projects.
- 200 for National Heritage Cities Programme.
- **40003 MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS**

*of which*

- 29420 Investment of National Highways Authority of India including Remittance of Toll.
- 1200 Special programme for development of Road Connectivity in Left Wing Extremism (LWE) affected areas
- 4000 Special Accelerated Road Development Programme for North East Region.

**POWER**

- 4500 for Deen Dayal Upadhyay Gram JyotiYojana.

**TEXTILES**

- 1520 for Technology Upgradation Fund Scheme.
- 257 Development of mega clusters.

**SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

- 1599 for Post-Matric scholarship for Scheduled Castes
- 885 for Post-Matric scholarship for Other Backward Classes

**DISABILITY AFFAIRS**

- 125 for Aids and Appliances for Handicapped
- 105 for various National Institutes for Disabled Persons

**TRIBAL AFFAIRS**

- 1367 Assistance for scheme under provisio (I) of Article 275 (1) of the Constitution.
- 1250 Special Central Assistance to Tribal Sub-plan
- 1137 Umbrella Scheme for Education of ST children

**DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION**

- 225 for NE Roads Corporation for speedy development of roads in NE areas.
- 125 for promotion of Organic Farming in NE States.
- 90 for Non Lapsable Central Pool of Resources (Central).

**MINORITY AFFAIRS**

- 1244 for Multi-Sectoral Development Programmes for Minorities.



- 1540 मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
- गृह मंत्रालय**
- 990 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
- 150 मोबाइल वाहनों और नियंत्रण कक्षों द्वारा पीड़ितों से विपत्ति संकेतों के बैकएंड समेकन हेतु (निर्भया कोष से)।

#### विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- 600 विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड हेतु।
- 545 संबंध और आर एंड डी मिशन हेतु।
- 330 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रिम क्षेत्रों में बहु-विधा अनुसंधान हेतु (अनुसंधान और विकास सहायता)।
- 154 प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों हेतु।
- 137 तकनीकी अनुसंधान केंद्रों हेतु।

#### अंतरिक्ष

- 412 जीएसएटी-18 उपग्रह-प्रक्षेपण सेवाओं हेतु।
- 312 पीएसएलवी-सी परियोजना हेतु।
- 235 जीएसएटी-17 उपग्रह-प्रक्षेपण सेवाओं हेतु।
- 195 जीएसएलवी-परिचालन (एमके-III परिचालन सहित) हेतु।
- 120 जीएसएलवी एमके-III विकास हेतु।
- 150 सेमी क्रायोनिक इंजन विकास हेतु।
- 120 सेकेन्ड व्हीकल ऐसम्बली निर्माण
- 120 नेवीगेशनल उपग्रह प्रणाली
- 120 जीएसएटी-15 उपग्रह हेतु।

#### नागर विमानन

- 2500 एयर इंडिया लि. में इक्विटी प्रदान करने हेतु।

#### परमाणु ऊर्जा

- 3819 अनुसंधान और विकास हेतु।
- 940 उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु।
- 241 खनिज क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु।

#### नाभिकीय विद्युत

- 400 भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड को ऋण हेतु।
- 178 न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में निवेश हेतु।
- 120 परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत (कुडनकुलम) में पड़ोस विकास परियोजना

#### पृथ्वी विज्ञान

- 294 पोलर साईंस और क्रायोस्फीयर कार्यकलापों के लिए अनुसंधान सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु।
- 250 प्रचालनात्मक मौसमी सेवाएं व मानसून की भविष्यवाणी में सुधार के लिए वायुमंडलीय वेध प्रणाली नेटवर्क के सुदृढीकरण प्रचालन और अनुसंधान हेतु।
- 175 भूकंपीय व भू-विज्ञान अनुसंधान तथा एक्स्ट्रामुराल अनुसंधान को संवर्धन हेतु

#### खेल

- 100 जम्मू व कश्मीर में खेल सुविधाएं बढ़ाने की योजना हेतु।
- 100 युवा नेता कार्यक्रम की योजना हेतु।
- 100 युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रतिभा अनुसंधान प्रणाली कार्यक्रम

#### संस्कृति

- 325 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हेतु।

#### रसायन और पेट्रो-रसायन

- 84 केन्द्रीय प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी संस्थान

#### भेषज

- 99 8 राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिए (एनआईपीईआर)।

- 1540 Pre and Post Matric scholarship.

#### HOME AFFAIRS

- 990 Border area development Programme.
- 150 for backend integration of distress signal from victims with mobile vans and control rooms (from Nirbhaya fund).

#### SCIENCE AND TECHNOLOGY

- 600 for Science & Engineering Research Board.
- 545 for Alliance and R&D Mission.
- 330 for multi-disciplinary research in frontier areas of Science & Technology (Research and Development Support).
- 154 for Technology Development Programme
- 137 for Technical Research Centers.

#### SPACE

- 412 for GSAT-18 Satellite - Launch Services.
- 312 for PSLV-C Project.
- 235 for GSAT-17 Satellite - Launch Services.
- 195 for GSLV - Operational (including Mk-III Operational).
- 120 for GSLV Mk-III Development.
- 150 for Semi Cryogenic Engine Development
- 120 for Second Vehicle Assembly Building
- 120 for Navigational Satellite System
- 120 for GSAT-15 Satellite

#### CIVIL AVIATION

- 2500 for equity infusion in Air India Limited.

#### ATOMIC ENERGY

- 3819 for Research and Development.
- 940 for Industries Sector Projects.
- 241 for Mineral Sector Projects.

#### NUCLEAR POWER

- 400 for loans to Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Ltd. (BHAVINI)
- 178 for investment under NPCIL
- 120 for Neighbourhood Development Project (in Kudankulam) under DAE

#### EARTH SCIENCES

- 294 for strengthening research facilities for the Polar Sciences and Cryosphere activities.
- 250 for augmentation, operation and maintenance of Atmospheric Observation Systems Network to improve operational weather services and monsoon forecast.
- 175 for Seismological and Geo Science Research and promote extramural research.

#### SPORTS

- 100 for the scheme of enhancement of Sports facilities at Jammu & Kashmir.
- 100 for the scheme of Young Leaders Programme.
- 100 National Sports Talent Search System Programme identifying young sporting talent.

#### RASHTRIYA KALA SANSKRITI VIKAS

- 325 for Archaeological Survey of India.

#### CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

- 84 for Central Institute of Plastics Engineering and Technology.

#### PHARMACEUTICALS

- 99 for 8 National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER).

**उद्योग**

- 1200 दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना हेतु।
- 310 निवेश संवर्धन/मेक इन इंडिया हेतु।
- 166 औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम हेतु।
- 150 पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश नीति हेतु।
- 150 भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम हेतु।

**डाक**

- 363 आईटी अधिष्ठापन और आधुनिकीकरण तथा डाक प्रचालनों हेतु।

**वित्त**

- 7940 बेसिल III मानकों के अनुपालन में सीआरएआर के संतोषजनक स्तर को बनाये रखने में उनकी सहायता करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूँजीकरण हेतु।
- 1300 एक्विजिशन बैंक को उसकी प्रदत्त पूँजी बढ़ाने के लिए इक्विटी सहायता।
- 300 नबार्ड के शेयर पूँजी को अभिदान हेतु।
- 250 फैक्ट्रिंग हेतु ऋण गारंटी निधि की स्थापना के लिए सिडबी को वित्तीय सहायता हेतु।

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार**

- 2100 पवित्र गंगा की सफाई हेतु नमामी गंगे

**श्रम और रोजगार**

- 1291 असंगठित श्रमिक स्कीम हेतु सामाजिक सुरक्षा
- 220 बाल, महिला श्रमिकों की कार्यकारी परिस्थितियों में सुधार

**नवीकरणीय ऊर्जा**

- 2410 ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत
- 131 ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा

**(वास्तविक लक्ष्य)****उर्वरक**

- 133.83 लाख मी. डन नाईट्रोजनी उर्वरक उत्पादन लक्ष्यार्त
- 47.39 लाख मी. डन फास्फेटी उर्वरक उत्पादन लक्ष्यार्त

**कोयला और लिग्नाइट**

- 700 मि.टन वर्ष 2014-15 के दौरान कोयले की घरेलू उपलब्धता आंकी गई है, जो कोल इंडिया लि. और अन्य से पूरा करने का अनुमान है।
- 25.67 मिलियन टन लिग्नाइट उत्पादन का अनुमान वर्ष 2014-15 के दौरान।

**इस्पात**

- 33.00 मिलियन टन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क उत्पादन का लक्ष्य रखा गया।
- 18.95 मिलियन टन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. द्वारा विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया।

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा**

- 4460 मेगावाट पवन, लघु पनबिजली, बायोमास विद्युत/सह उत्पादन, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा और सौर शक्ति से ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए।

**रेलवे**

- 2500 किलोमीटर ट्रैक का नवीकरण।
- 1600 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण।
- 500 किलोमीटर का गेज परिवर्तन।
- 300 किलोमीटर नई लाइनें।
- 1000 किलोमीटर डबल लाइन करना।
- 636 अतिरिक्त लोकोमोटिव विनिर्माण।

**INDUSTRY**

- 1200 for Grants to Delhi Mumbai Industrial Corridor Project
- 310 for Investment Promotion/ Make in India.
- 166 for Industrial Infrastructure Upgradation Scheme.
- 150 for North East Industrial & Investment Policy
- 150 for Indian Leather Development Programme

**POSTS**

- 363 for IT induction, modernisation and postal operations.

**FINANCE**

- 7940 for recapitalisation of Public Sector Banks to help them maintain comfortable level of CRAR in compliance with Basel III norms.
- 1300 for equity support to EXIM Bank to increase its paid up capital.
- 300 for subscription to the share capital of NABARD.
- 250 for financial support to SIDBI to set up Credit Guarantee Fund for Factoring.

**WATER RESOURCES RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION**

- 2100 Namami Gange for cleaning of the Holy Ganga

**LABOUR AND EMPLOYMENT**

- 1291 Social Security for Unorganized workers scheme
- 220 Improvement in working condition of Child Woman Labour

**RENEWABLE ENERGY**

- 2410 Grid Interactive and Distributed Renewable Power
- 131 Renewable Energy for Rural Applications

**(Physical Targets)****FERTILIZER**

- 133.83 lakh MT of Nitrogenous Fertiliser production targeted.
- 47.39 lakh MT of Phosphatic Fertiliser production targeted.

**COAL AND LIGNITE**

- 700 million tones of domestic production of Coal has been estimated during 2014-15, which is projected to be met from Coal India Limited and others.
- 25.67 million tones of Lignite production estimated during 2014-15.

**STEEL**

- 33.00 million tonnes of Iron ore production targeted by National Mineral Development Corporation Ltd.
- 18.95 million tones of saleable steel production by Steel Authority of India Ltd. and Rashtriya Ispat Nigam Ltd. targeted.

**NEW AND RENEWABLE ENERGY**

- 4460 MW Grid-interactive Power capacity addition from wind, small hydro, biomass power/cogeneration, urban and industrial waste to energy and solar power.
- 1.10 lakh - construction of family type Biogas plants.

**RAILWAYS**

- 2500 kilometers of track renewal.
- 1600 kilometers of electrification.
- 500 kilometers of gauge conversion.
- 300 kilometers of new lines.
- 1000 kilometers of doubling.
- 636 locos additional manufacture.

## अनुबंध Annexure

अनुबंध ANNEX - I

केंद्र सरकार से पूर्णतः प्रायोजित स्कीमें

**Scheme to be fully supported by  
Union Government**

क्र.सं.	स्कीम का नाम	Sl.No.	Name of Scheme
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (एमजीएनआरईजीए)	1.	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA)
2.	अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)	2.	Multi Sectoral Development Programme for Minorities (MSDP)
3.	अस्वच्छ कार्यों से जुड़े बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम	3.	Pre-Matric Scholarship for children of those engaged in unclean occupation
4.	छात्रवृत्ति स्कीमें (पूर्व तथा पश्च मैट्रिक) अ.जा.अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए	4.	Scholarship schemes (Post and Pre Matric) for SC, ST and OBCs
5.	नागरिक अधिकार अधि. 1955 के संरक्षणों के कार्यान्वयन और अत्याचार निवारण अधि. 1969 के लिए मशीनरी को सहयोग	5.	Support for Machinery for implementation of Protection of Civil Rights Act, 1955 and Prevention of Atrocities Act 1989
6.	राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति कार्यक्रम	6.	National Programme for persons with Disabilities
7.	अल्पसंख्यकों को शिक्षा उपलब्ध करने की स्कीम	7.	Scheme for providing Education to Minorities
8.	जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला स्कीम	8.	Umbrella scheme for education of ST Children
9.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)	9.	Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojna (IGMSY)
10.	एकीकृत शिशु संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	10.	Integrated Child Protection Scheme (ICPS)
11.	राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (आरजीएसईएजी)-सबला	11.	Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)- SABLA
12.	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एनएनएम)	12.	National Nutrition Mission (NNM)
13.	महिला सुरक्षा तथा विकास स्कीम	13.	Scheme for protection and development of women
14.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुकों के अन्तर्गत सहायता स्कीमें	14.	Assistance for schemes under proviso(i) to Article 275(1) of the Constitution
15.	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	15.	Special Central Assistance to Tribal Sub-Plan
16.	सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा उपकर द्वारा निधि पोषित)	16.	Sarva Shiksha Abhiyaan (Financed from Education Cess)
17.	मध्याह्न भोजन	17.	Mid Day Meal
18.	पूर्वोत्तर जीवन के लिए विशेष पैकेज	18.	Schemes of North Eastern Council
19.	बुन्देल प्रादेशिक परिषद के लिए विशेष पैकेज	19.	Special Package for Bodoland Territorial Council
20.	अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएपी)	20.	National Social Assistance Programme (NSAP) including Annapurna
21.	सिक्किम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधनों के विशेष पूल के लिए अनुदान	21.	Grants from Central Pool of Resources for North Eastern Region and Sikkim
22.	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम	22.	Social Security for Unorganized Workers Scheme
23.	अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु सहायता	23.	Support to Educational Development including Teacher Training and Adult Education
24.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	24.	Border Area Development Programme
25.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस)	25.	Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)
26.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए उपकर आधारित आबंटन	26.	Cess backed allocation for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY)
27.	केंद्रीय सड़क निधि से निधि-पोषित सड़के व पुल	27.	Roads and Bridges financed from Central Road Fund
28.	बाघ परियोजना	28.	Project Tiger
29.	हाथी परियोजना	29.	Project Elephant
30.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ऋण भाग)	30.	Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Loan Portion)
31.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुदान भाग)	31.	Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Grant Portion)

## केंद्रीय सहायता से मुक्त स्कीमें

## Schemes delinked from support of the Centre

क्र.सं.	स्कीम का नाम
1.	राष्ट्रीय ई-शासन योजना
2.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष
3.	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण
4.	राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए)
5.	निर्यात अवसंरचनाओं के विकास के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता की स्कीम
6.	6000 मॉडल स्कीमों की स्थापना की स्कीम
7.	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन
8.	पर्यटन अवसंरचना

Sl.No.	Name of Scheme
1.	National e-Governance Plan
2.	Backward Regions Grant Funds
3.	Modernization of Police Forces
4.	Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyaan (RGPSA)
5.	Scheme for Central Assistance to the States for developing export infrastructure
6.	Scheme for setting up of 6000 Model Schools
7.	National Mission on Food Processing
8.	Tourist Infrastructure

**टिप्पणी:** चौदहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 2.29 में उल्लेख किया है कि "हमने विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच हमारे मानदण्डों और सिफारिशों के निर्धारण में कोई अंतर नहीं किया है। हमें विश्वास है कि राज्यों की लागत अक्षमता और राजकोषीय क्षमता पर प्रभाव डालने वाले कतिपय सामान्य घटकों के बावजूद ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो व्यक्तिगत राज्यों के लिए अद्वितीय हैं। -- हमारा उद्देश्य कर वितरण के माध्यम से संभव स्तर तक प्रत्येक राज्य के संसाधन अन्तरों को पाटने का है। तथापि, हमने ऐसे राज्यों जहां केवल वितरण आकलित अंतर को नहीं पाटा जा सकता उनको वितरण-पश्च राजस्व घाटा अनुदानें उपलब्ध कराई हैं।"

इसलिए, अन्य प्रयोजनों के लिए सामान्य केंद्रीय सहायता, विशेष आयोजना सहायता, विशेष केंद्रीय सहायता और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्वयं पंचाट में शामिल की गई हैं।

**Note:** FFC has noted in para 2.29 of the Report "We did not make a distinction between special and general category states in determining our norms and recommendations . We believe that while there are certain common factors that impact cost disability and fiscal capacity of States, there exist circumstances that are unique to individual States. - - - Our objective has been to fill the resource gaps of each State to the extent possible through tax devolution. However, we have provided post-devolution revenue deficit grants for States where devolution alone could not cover the assessed gap."

Hence, Normal Central Assistance, Special Plan Assistance, Special Central Assistance and Additional Central Assistance for other purposes are subsumed in the award itself.

## परिवर्तित हिस्सेदारी के साथ जारी स्कीमें

## Scheme to be run with the Changed Sharing Pattern

क्र.सं.	स्कीम का नाम	Sl.No.	Name of Scheme
1.	पशुधन विकास	1.	Cattle Development
2.	एकीकृत बागवानी विकास मिशन	2.	Mission for Integrated Development of Horticulture
3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3.	Rashtriya Krishi Vikas Yojana
4.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	4.	National Livestock Mission
5.	राष्ट्रीय वहनीय कृषि विकास मिशन	5.	National Mission on Sustainable Agriculture
6.	डेयरी विकास अभियान	6.	Dairy Vikas Abhiyaan
7.	पशुचिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य	7.	Veterinary Services and Animal Health
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	8.	National Rural Drinking Water Programme
9.	स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण और शहरी)	9.	Swaccha Bharat Abhiyaan (Rural and Urban)
10.	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	10.	National Afforestation Programme
11.	राष्ट्रीय जल-पीरिस्थितिकी-प्रणाली योजना, (एनपीसीए)	11.	National Plan for Conservation of Aquatic Eco-Systems (NPCA)
12.	राष्ट्रीय एड्स तथा एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	12.	National AIDS and STD Control programme
13.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	13.	National Health Mission
14.	राष्ट्रीय शहरी पशुधन मिशन (एनयूएलएम)	14.	National Urban Livelihoods Mission (NULM)
15.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	15.	Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyaan (RMSA)
16.	राज्य उच्च शिक्षा के लिए कार्यनीतिक सहायता-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रुसा)	16.	Strategic Assistance for State Higher Education - Rashtriya Uchcha Shiksha Abhiyan (RUSA)
17.	न्यायपालिक के लिए अवसंरचना विकास	17.	For Development of Infrastructure Facilities for Judiciary
18.	राष्ट्रीय भू-रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम	18.	National Land Records Modernisation Programme
19.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	19.	National Rural Livelihood Mission (NRLM)
20.	ग्रामीण आवास-सबके लिए घर	20.	Rural Housing- Housing for All
21.	समेकित बाल विकास सेवा	21.	Integrated Child Development Service
22.	राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) भूतपूर्व-पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)।	22.	Rajiv Gandhi Khel Abhiyan (RGKA) (erstwhile Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)
23.	पीएमकेएसवाई (वाटरशेड तथा लघुसिंचाई कार्यक्रमों को मिलाकर)	23.	PMKSY(including Watershed programme and Micro irrigation)
24.	एआईबीएफएमपी के मूल्यांकन अध्ययनों का प्रभाव	24.	Impact Assessment Studies of AIBFMP

**टिप्पणी:** 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को कर संसाधनों के प्रचुर अन्तरणों के मद्देनजर केंद्र-राज्य निधि पोषण का तारीका अब बदल रहा है। अब राजस्व व्यय राज्यों के द्वारा वहन किया जाएगा। परिवर्तित निधि-पोषण के पैटर्न से स्कीमों के समग्र व्यय में कोई कमी नहीं होगी।

**Note:** The Centre-State funding pattern is being modified in view of the larger devolution of tax resources to States as per the recommendations of 14th Finance Commission whereby in this scheme, the revenue expenditure is to be borne by the States. Subsequent to changed funding pattern, overall expenditure on the schemes will not decrease.